आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

जिला कलेक्ट्रेट, टोंक

हीटवेव एक्शन प्लान–2025

वर्ष 2025 में लू–तापघात प्रभाव को देखते हुए बचाव एवं तैयारियों/अग्रिम व्यवस्थाओं आदि के सम्बन्ध में संबंधित विभागों से प्राप्त अद्यतन रिपोर्ट –

1. जिला ईमरजेंसी ऑपरेशन सेन्टर कलेक्ट्रेट, टोंक –

कार्यालय अधीक्षक कलेक्ट्रट, टोंक के पर्यवेक्षण में प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों (जिला आपदा त्वरित कार्यवाही दल) को 3 पारियों में 24x7 संचालित है।

- जिला स्तर पर की गई कार्यवाही के संबंध में :–

(1) आगामी प्री–मानसून एवं हीटवेव 2025 में संभावित आपदा एवं लू एवं अन्य प्रतिकूल जलवायु घटनाओं से निपटने की तैयारी की समीक्षा के सम्बन्ध में ग्रीष्म–ऋतु के प्रारंभ होने पर गर्मी/तापमान बढना, ताप की लहर/हीट वेव एवं अन्य विपरीत जलवायु परिवर्तन से आमजन के बचाव हेतु कार्यालय हाजा के पत्रांक 1406–050 दिनांक 02.04.2025 द्वारा जिला स्तर पर श्री रामरतन सोंकरिया, अति0 जिला कलक्टर, टोंक को हीटवेव प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है जिनके मोबाईल नम्बर 9828550661 तथा टोल फ्री नं. 1077 है। ई–मेल **adm-ton-rj@gov.in, relieftonk@gmail.com** है तथा कार्यालय हाजा के पत्रांक 1473–1496 दिनांक 02.04.2025 द्वारा जिला स्तर पर जिले के संबंधित विभागों के साथ श्रीमान जिला कलक्टर, टोंक की अध्यक्षता में आगामी प्री–मानसून एवं हीटवेव 2025 में संभावित आपदा एवं ग्रीष्म–ऋतु के प्रारंभ होने पर गर्मी/तापमान बढना, ताप की लहर/हीट वेव एवं अन्य विपरीत जलवायु परिवर्तन से आमजन के बचाव के संबंध में बैठक आयोजित की गई है।

(2) कार्यालय हाजा के पत्रांक 1376–91 दिनांक 02.04.2025 द्वारा संबंधित विभागों को जनसमुदाय को हीटवेव के प्रकोप से बचाव हेतु अपने–अपने विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाने एवं दिशा–निर्देशों की पालना करवाये जाने हेतु निर्देशित किया है तथा हीटवेव 2025 से बचाव हेतु हीटवेव एक्शन प्लान तैयार करने एवं हीटवेव एडवायजरी 2025 जारी की जाकर एडवायजरी के व्यापक प्रचार प्रसार एवं क्या करें और क्या न करें **(Do's and Don'ts)** की आमजन से अपील एवं उक्त दिशा–निर्देशों का व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु हेतु जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी को निर्देशित किया जाकर व्यापक प्रचार–प्रसार करवाया जा रहा हैं। साथ ही जिले के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में पर्याप्त चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टॉफ, दवाईयों की उपलब्धता, तथा संसाधनों की सुनिश्चितता हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंकं को निर्देशित किया जा रहा है। श्रमिकों के लिये छाया, पेय पदार्थो एवं गीला कपडा रखने हेतु सहायक श्रम आयुक्त, श्रम विभाग टोंक को को निर्देशित किया जा रहा है। पशुओ/गोवंश को तापघात से बचाव हेतु टीनशेड पर टाट कपडे डालने व पशुचिकित्सालय में प्रयाप्त मात्रा अपलब्ध करवाये जाने हेतु संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग टोंक को निर्देशित किया जा रहा है। नरेगा के श्रमिको हेतु प्रयाप्त छाया स्थल की व्यवस्था, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद टोंक को को निर्देशित किया जा रहा है। सड़को पर पानी के टेंकरों से छिडकाव व अग्निशमन गाडियों को अलर्ट मोड पर रखे जाने हेतु आयुक्त नगर परिषद टोंक को को निर्देशित किया जा रहा है। जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बिजली के सुचारू रूप से आपूर्ति हेतु अधीक्षण अभियंता, विद्युत विभाग, टोंक को को निर्देशित किया जा रहा है तथा पानी की सप्लाई समयबद्ध एवं पर्याप्त रूप से किये जाने हेतु जन स्वास्थ्य अभियन्त्रिकी विभाग, टोंक को निर्देशित जा रहा है तथा कार्यालय हाजा के पत्रांक 1451–59 दिनांक 02.04.2025 द्वारा समस्त तहसीलदारों को अपने तहसील स्तर पर हीटवेव नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाकर तहसील क्षेत्र में जन समुदाय को हीटवेव (लू–ताप–घात) के प्रकोप से बचाव हेतु दिशा–निर्देशों की पालना करवाया जाने हेतु निर्देशित किया है तथा पालना रिपोर्ट भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2. सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, टोंक

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा के तहत कार्यालय के प्रमुख दायित्व

क्रम संख्या	कार्यालय के प्रमुख दायित्व
1	आपदा के समय क्या करें और क्या ना करें, के बारे में संबंधित अन्य लोगों को जानकारी का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।
2	नवीनतम आपातकालीन स्थिति के बारे में सार्वजनिक जानकारी रखते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
3	लोगों को विभिन्न आपदा पश्चात सहायता और रिकवरी कार्यक्रम के बारे में सूचित किया जा रहा है।
4	समय–समय पर प्रेस नोट जारी करना सुनिि चत किया जायेगा।
5	जिला प्रशासन द्वारा किये जा रहे राहत कार्यों की जनता को जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है।

3. जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, टोंक –

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान
PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT , RAJASTHAN

- जिले में बीसलपुर बांध से 06 शहर , 07 ब्लॉक एवं कुल 1118 ग्रामों में पीएचईडी प्रोजेक्ट एवं पीएचईडी रेगुलर द्वारा जलापूर्ति की जा रही है।
- जिले में ग्रीष्म आकस्मिकता कोष के तहत जिले में कुल 17 कार्यो हेतु राशि 156.75 लाख की स्वीकृति जारी की जा चुकी है जिनमें से 9 कार्यों के कार्यादेश जारी किये जाकर कार्य प्रगति पर है तथा शेष 8 कार्यों की निविदाऐं प्रक्रियाधीन है। समस्त कार्य दिनांक 15.05.2025 तक पूर्ण किया जाना है।
- टोंक जिले में ग्रीष्म पेयजल हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 364–394 दिनांक 08.04.2025 के द्वारा जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम (दूरभाष 01432–247436) स्थापित किया गया है। जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम 24 घंटे संचालित है तथा नियमित प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है।
- जिले में बीसलपुर बांध से समस्त ग्रामों में 48 घंटे के अंतराल में नियमित रूप से जलापूर्ति की जा रही है तथा टोंक एवं मालपुरा शहर में 48 घंटे के अन्तराल में जलापूर्ति की जा रही है शेष 4 शहरों 24 घंटे के अन्तराल में जलापूर्ति की जा रही है।
- हैडपम्प मरम्मत अभियान के तहत दिनांक 01.04.2025 से आज दिनांक तक 374 मरम्मत योग्य हैडपम्प में से 330 हैडपम्प ठीक किये जा चुके है।

ग्रीष्म ऋतु 2024 हेतु समर प्लान

1. टोंक जिले में 6 शहर एवं 7 ब्लॉक स्थित है। जिनमें बीसलपुर बांध से पेयजल वितरण पीएचईडी प्रोजेक्ट एवं पीएचईडी रेगुलर विभाग द्वारा की जा रही है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

क्रं सं.	ब्लॉक	शहरों की संख्या	ग्रामों की संख्या	ओ.एण्ड. एम संस्था
1	टोंक	1	124	PHED BTUD Project
2	देवली	1	168	PHED BTUD Project
3	उनियारा	1	210	PHED BTUD Project
4	निवाई	1	205	PHED Niwai Project
5	पीपलू	0	118	PHED Regular
6	मालपुरा	1	154	PHED Regular
7	टोडारायसिंह	1	139	PHED Regular

2. सभी 6 शहरों में बीसलपुर बांध से उपलब्ध पेयजल को वितरण किये जाने का काम पीएचईडी रेगुलर विंग द्वारा किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नप्रकार है:–

क्र. सं.	शहर का नाम	जनसंख्या वर्ष 2011	वर्तमान जनसंख्या	प्रतिदिन औसत सप्लाई बीसलपुर बांध एवं स्थानीय स्त्रोत से (MLD)	प्रति व्यक्ति सर्विस लेवल (LPCD)	कुल चालू हैण्डपम्पों की संख्या	सप्लाई अंतराल घंटो में
1	टोंक	1,65,294	238000	25.00	91	569	48
2	देवली	22,065	39505	3.90	85	96	24
3	उनियारा	12,551	15,187	1.50	85	83	24
4	मालपुरा	36,028	47540	3.85	70	128	48
5	निवाई	37,765	45,696	4.50	85	316	24
6	टोडारायसिहं	23,559	28,506	1.90	58	80	24
	TOTAL	2,97,262	4,14,434	40.65		1272	

नोटः– ग्रीष्म मे पेयजल समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु जिला स्तर पर कन्ट्रोल रूम (दूरभाष नं. 01432–247436) स्थापित किया गया है।

3. समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल परिवहन

1. जिले में 234 ग्राम तथा 199 ढाणियों में आवश्यकता पडने पर पेयजल परिवहन हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 84.55 लाख रूपये स्वीकृत तथा सभी 6 शहरो में आवश्यकता पडने पर पेयजल परिवहन हेतु शहरी क्षेत्र में 23.58 लाख रूपये प्रस्ताव स्वीकृति जारी की गई है।

2. जिला स्तरीय कमेटी द्वारा पेयजल परिवहन की दरें सभी शहरों के लिये राशि रूपये 480 प्रति 4000 लीटर क्षमता टैंकर एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये राशि रूपये 470 प्रति 4000 लीटर क्षमता टैंकर अनुमोदित की जा चुकी है।

3. मालपुरा एवं टोडारायसिंह ब्लॉक में पेयजल परिवहन हेतु अधिशाषी अभियंता खण्ड मालपुरा के द्वारा दिनांक 31.03.2025 को मैसर्स उदय इंजिनियरिंग, ग्राम पोस्ट कलमण्डा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक को कार्यादेश जारी किया गया।

4. निवाई एवं पीपलू ब्लॉक में पेयजल परिवहन हेतु अधिशाषी अभियंता खण्ड मालपुरा के द्वारा आमंत्रित निविदा प्रक्रियाधीन है तथा दिनांक 09.04.2025 को निविदा खोली जा चुकी है।

5. टोंक, देवली एवं उनियारा ब्लॉक में पेयजल परिवहन हेतु आमंत्रित निविदाओं में बिडर्स द्वारा भाग नहीं लेने के कारण जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित दरों पर अन्य संवेदक से कार्य करवाने के लिये अधिशाषी अभियंता खण्ड टोंक को इस कार्यालय द्वारा दिनांक 27.03.2025 कों अधिकृत किया जा चुका है।

4. हैण्डपम्प मरम्मत अभियान

01.04.2025 से शुरू 49वां हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के तहत 40 लेबर तथा 8 वाहन खण्ड टोंक / मालपुरा को आवंटित।

49वें हैण्डपम्प मरम्मत अभियान की प्रगति रिपोर्ट

पंचायतीराज विभाग हैण्डपम्प मरम्मत				
एरिया	कुल स्थापित हैण्डपम्प	मरम्मत योग्य कुल हैण्डपम्प	ठीक किये गये हैण्डपम्प	बेलेन्स
ग्रामीण	5935	22	15	07

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हैण्डपम्प मरम्मत				
एरिया	कुल स्थापित हैण्डपम्प	मरम्मत योग्य कुल हैण्डपम्प	ठीक किये गये हैण्डपम्प	बेलेन्स
शहरी	1809	26	9	17
ग्रामीण	6198	28	19	07
योग	8007	54	28	34

नोटः— पंचायती राज विभाग द्वारा स्थापित हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु आवश्यक हैण्डपम्प स्पेयर पार्ट ग्राम पंचायत पर उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक द्वारा सभी विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जाना है।

5. ग्रीष्म आकस्मिकता फंड

ग्रीष्म में आकस्मिक कार्यो हेतु खण्ड मालपुरा के 3 कार्य राशि रूपये 16.86 लाख एवं खण्ड टोंक के 8 कार्य राशि रूपये 48.28 लाख, कुल राशि रूपये 65.14 लाख रूपये आवंटित एवं 11 नग प्रस्ताव जिला कलेक्टर महोदया की अभिशषा अनुसार अतिरिक्त मुख्य अभियंता क्षेत्र अजमेंर को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु प्रेषित है। उक्त कार्यो में मुख्यतः नलकूप को गहरा करना, पम्पसेट बदलना, पुरानी पाईपलाईन बदलने का कार्य सम्मिलित है।

6. आकस्मिक कार्यो की स्वीकृति

ग्रीष्म में आकस्मिक कार्यो हेतु खण्ड मालपुरा के 8 कार्य राशि रूपये 74.22 लाख एवं खण्ड टोंक के 9 कार्य राशि रूपये 82.53 लाख, कुल राशि रूपये 156.75 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। उक्त कार्यो में मुख्यतः नलकूप को गहरा करना, पम्पसेट बदलना, पुरानी पाईपलाईन बदलने का कार्य, असफल नलकूप की जगह नवीन नलकूप निर्माण कार्य सम्मिलित है।

7. आकस्मिक व्यवस्थाओं हेतु संविदा दर

ग्रीष्म ऋतु में हैण्डपम्प / नलकूप मरम्मत, नये हैण्डपम्प / नलकूप निर्माण, पाईपल लाईन लीकेज, नई पाईप लाईन डालने, योजनाओं के संचालन एवं संधारण, पम्प मोटर रिपेयरिंग, जलाशयों की सफाई की वार्षिक दर संविदाऐं उपलब्ध है।

8. आवश्यक सामग्री की उपलब्धता

विभागीय हैण्डपम्प एवं नलकूप के मरम्मत हेतु आवश्यक स्पेयर पार्टस, जीआई पाईप, सीआईडी ज्वाइन्टस एवं वितरित जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक ब्लीचिंग पाउडर खण्डीय भण्डार टोंक एवं मालपुरा में उपलब्ध है।

9. पेयजल हेतु निर्बाध विद्युत प्रवाह

विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसके माध्यम से आपसी समन्वय से विद्युत संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान हेतु प्रयास किये जाते है। वर्तमान में विभाग द्वारा 17 नलकूप के विद्युत कनेक्शन जारी किये जाने हेतु अंडरटेकिंग दी जा चुकी है। विद्युत विभाग द्वारा कार्य प्रगति पर है।

4. सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों की प्रगति–

Status from 01.01.2025 to 04.04.2025

Grievance Received	Disposed	Pending				
		0-30	31-45	46-60	>60	Total
475	157	311	7	0	0	318

5. अवैध कनेक्शन की प्रगति–

PROGRESS OF REMOVAL & REGULARIZATION OF ILLEGAL CONNECTIONS from 05.10.2024

S. No.	Name of Circle	Assessed number of illegal connections till reporting date	Progress of removal or Regularization of illegal connections			Balance illegal connections as on date (3-6)	No. of cases for which FIR lauge	No.of cases Reported for Misbehaviour with PHED Officials/staff
			Regularized	Disconnected	Total (4+5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tonk	1562	76	1486	1562	0	0	0

टोंक जिले में अमृत–2 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यः–

क्र.सं.	योजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड में)
1	**UWSS Deoli**	**5.21**
2	**UWSS Uniara**	**2.78**
3	**UWSS Malpura**	**9.73**
4	**UWSS Newai**	**10.34**
5	**UWSS Todaraisingh**	**4.98**
योग		**33.04**

- उक्त योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है तथा निविदाऐं प्रक्रियाधीन है।
- विभाग की समस्त पेयजल योजनाओं पर स्थित स्वच्छ जलाशयों, उच्च जलाशयो, भूतल जलाशयों की नियमानुसार सफाई का कार्य करवाया जा रहा है।
- जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत योजनाऐं जहां पर अभी तक नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुचारू नही हुई है। उक्त ग्रामों में पूर्व मे स्थापित सार्वजनिक नलों से पेयजल व्यवस्था की गई है।
- पेयजल की शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु जिला स्तर पर कन्ट्रोल रूम कार्यरत है।
- इसके अतिरिक्त इस वृत के अधीन खण्ड टोंक एवं मालपुरा की हैण्डपम्प, नलकूप, टैंकर व पाईपलाईन की दर संविदा आमत्रित कर कार्यादेश जारी कर दिये गये है।

6. मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2024–25 की प्रगति

Progress of Budget 2024-25 Announcement for Hand pamp and Tube Well

SN.	District	Constituency	Authorization HP	A&F Sanctioned HP	Hand pump		Authorization TW	A&F Sanctioned TW	Tube well		Remarks
					Drilled	Comm.			Drilled	Comm.	
1	Tonk	Malpura	10	10	10	10	5	5	4	4	1 No. HP not feasible & 2 No. TW dry.
2		Niwai (SC)	10	10	10	10	5	5	5	5	
3		Tonk	10	10	10	10	5	5	4	4	
4		Deoli-Uniara	10	10	9	9	5	5	5	5	
District Tonk			40	40	39	39	20	20	18	18	

7. जल जीवन मिशन की प्रगति रिपोर्टः–

MP/OTMP	कुल ग्राम	स्वीकृत राशि (करोड में)	FHTC की संख्या	कायदिश जारी	FHTC Coverage	विशेष टिप्पणी
OTMP	439	544.98	1,00,817	256	65,058	–
BTUD (MP)	464	200.29	93,188	464	66,495	–
Newai (MP)	215	154.28	42,393	215	22,442	–
योग	1,118	899.55	2,36,398	935	1,53,995	

नोटः– (1) टोडारायसिंह, मालपुरा एवं पीपलू ब्लॉक के 179 ग्रामों (33870 FHTCs) की योजना की निविदाऐं प्रक्रियाधीन है।

- **FHTC COVERAGE STATUS**

S.No	Particulars	MP	OTMP	Total
1	No of villages	679	439	1118
2	No. of FHTC	1,35,581	1,00,817	2,36,398
3	FHTC Before JJM (As on 15-08-2019)	4,181	5,130	9,311
4	Total FHTC Covered as on date 01-04-25	88,937 (65.60%)	65058 (64.53%)	1,53,995 (65.14%)
5	Balance FHTC	43,449	37049	80,498
6	FHTC for which WO not issued	0	33,870	33,870
7	Target FHTC 2025-26	43449	5247	48696
	Achievement in FY 2025-26	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत FHTC की वर्ष 2024–25 की प्रगति निम्नानुसार है :–

योजना	लक्ष्य	प्रगति	%
OTMP (वृत टोंक)	7989	7795	97.57
MP (बीसलपुर टोंक उनियारा देवली परियोजना) MP (बीसलपुर निवाई परियोजना)	44000	30178	68.58
योग	51989	37973	73.04

4. पशुपालन विभाग , टोंक –

पशुओं को ग्रीष्म ऋतु एवं लू–प्रकोप से बचाव हेतु पशुपालन विभाग द्वारा एडवाईजरी :–

1. सभी पशुपालकों को उनके पशुओं को तापघात से बचाने हेतु एडवाईजरी जारी कर दी गई है एवं गौवंश/अन्य पशुओं को धूप एवं ताप/लू से बचाने के लिए गौशाला संचालकों को संधारित गौवंश/अन्य पशुओं हेतु पर्याप्त छाया की व्यवस्था करने तथा शेड को गर्म हवाओं के प्रकोप से बचाने के लिए तिरपाल अथवा टाट/बोरे से ढकने हेतु पाबंद किया गया है।
2. प्रिन्ट मिडीया के माध्यम से सभी पशुपालकों को पशुओं को तापघात से बचाने हेतु सावचेत किया गया है। एवं बीमार एवं अशक्त गौवंश/अन्य पशुओं हेतु संबंधित पशु चिकित्सा कर्मियों की देखरेख में उपचार करने हेतु निर्देशित किया गया है।
3. जिले के सभी गौशाला प्रबन्धकों एवं पशुपालको को गौवंश/अन्य पशुओं को तापघात से बचाने हेतु एवं गौवंश/अन्य पशुओं के पानी की व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया है। गौशाला प्रबन्धकों एवं पशुपालकों को निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये है :–

- गौवंश/अन्य पशुओं हेतु पर्याप्त मात्रा में चारा, भूसा एवं पशु आहार की व्यवव्स्था हेतु गौशाला प्रबन्धन को समुचित व्यवस्था करने हेतु।
- गौशालाओं में संधारित गर्भवती एवं असहाय गौवंश की विशेष देखभाल हेतु संबंधित पशु चिकित्सालय को चिकित्सा उपचार व्यवस्था हेतु।
- गौशाला संचालकों को पानी, चारा, एवं पशु आहार की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करने हेतु।
- गौशालाओं में आगजनी से बचाव हेतु समुचित प्रबन्ध हेतु एवं मृत गौवंश के शव का निस्तारण यथा शीघ्र एवं सुरक्षित सम्मानजनक ढंग से किये जाने हेतु

4.. सभी पशु चिकित्सा संस्था प्रभारियों को अपने कार्य क्षेत्र में पशुओं के लिए चारे एवं पानी की व्यवस्था हेतु स्थानीय प्रशासन के सहयोग से व्यवस्था करने हेतु ।

5. सभी पशु चिकित्सा संस्थाओं में पर्याप्त मात्रा में औषधियां उपलब्ध करवा दी गई है। लू एवं तापघात से पशुओं को बचाने हेतु पूर्ण रूप से विभाग तैयार है।

पशुओ को तापघात से बचाने के उपाय :–

1. गौवंश को सूर्य की सीधी किरणों से दूर रखें।
2. धूप और लू से बचाव के लिए हवादार छप्पर या छायादार वृक्ष के नीचें रखें।
3. गौवंश गृह को ठण्डा रखने के लिए दिवारों के उपर जूट की टाट लटकाकर उस पर थोड़ी–थीड़ी देर में पानी का छिड़काव करना चाहिए ताकि बाहर से आने वाली हवा में ठंकड बनी रहे।
4. पंखे या कूलर का यथा संभव उपयोग करें।
5. गौवंश में पानी, लक्षण की कमीं होने एवं भोजन में अरूची होने के मध्यनजर दिन में कम से कम चार बार स्वच्छ और ठण्डा जल गौवंश को उपलब्ध कराना चाहिए। साथ ही संतुलित आहर के साथ–साथ उचित मात्रा में खनिज मिश्रण भी देना चाहिए। उच्च्व गुणवत्ता का आसनी से पचनीय चारा गौवंश को उपलब्ध कराना चाहिये।
6. गौवंश को चराई के लिए सुबह जल्दी और शाम को देर से भेजना चाहिए। ताकि अत्यधिक बढ़े हुये तापमान से गोवंश को बचाया जा सके।
7. आहर में संतुलन के लिए एजौला चारा का प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही आहार में गेहूं का चौकर और जौ की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए।
8. गोवंश का परिवहन एवं अन्य संबंधित गतिविधियां सुबह या शाम के ठंडे वातावरण में की जानी चाहिए।

5. वन विभाग, टोंक

01.जलाशयों के माध्यम से पानी की आपूर्ति

वन विभाग टोंक द्वारा टोंक वन क्षेत्र में पानी के प्राकृतिक व कृत्रिम जलाशय हैं उनमें वन्यजीवों के लिए अत्यधिक तापमान के समय पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

02.फॉरेस्ट फायर लाइन का निर्माण

वन विभाग द्वारा वन खंड सोहेला में फॉरेस्ट फायर लाइन का निर्माण किया गया है जिससे वन क्षेत्र में लगने वाली आग (दावानल) पर काबू पाया जाएगा।

03.नियमित गश्त और त्वरित कार्रवाई

इसके अतिरिक्त वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा वन क्षेत्र की नियमित गश्त की जाएगी और यदि कोई जंगल की आग की घटना होती हैं तो उस पर जल्द से जल्द काबू पाया जाएगा।

6. शिक्षा विभाग, टोंक–

गर्मी के मौसम एवं हीटवेव के जोखिम को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु निम्नलिखित प्रकार से एडवाईजरी जारी की जाती हैं–

- सभी विद्यालयों में ठंडे पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की जाएं एवं पानी की टंकियों की नियमित सफाई की जाएं।
- परीक्षाओं एवं प्रार्थना सभा का आयोजन छायादार एवं हवादार स्थान पर किया जाएं।
- विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा–कक्ष के पंखे कार्यशील अवस्था में हो।
- विद्यालयों में हीटवेव से बचाव हेतु एवं लू लगने के लक्षणों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएं।
- सभी विद्यालयों में हीटवेव से बचाव हेतु प्राथमिक उपचार किट यथा ओआरएस घोल, थर्मोमीटर, मुलतानी मिट्‌टी एवं तौलिया अथवा कपडा (किसी विद्यार्थी मे लू लगने के लक्षण होने पर गीला कर सिर पर रखने हेतु) उपलब्ध रखें।

- किसी विद्यार्थी में लू लगने के लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें।
- विद्यालय प्रागंण को साफ–सुथरा रखा जाएं।
- मीड–डे मील में ताजा रसीले (हाईड्रेटींग) फलों का वितरण किया जाएं।
- मीड–डे मील में सुपाच्य भोजन बनाएं एवं ताजा भोजन सामग्री का प्रयोग किया जाएं। भोजन बनाते समय साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएं।

7. जिला श्रम विभाग , टोंक –

श्रम विभाग द्वारा निर्माण कार्य/औद्योगिक/दुकान एवं वाणिज्यक संस्थानों पर कार्य करने वाले श्रमिकों को गर्म हवा (लू) से बचाव हेतु प्रशिक्षण एवं जागरूक करने के संबंध में कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है–

- औद्योगिक एवं दुकान व वाणिज्यक संस्थानों के नियोजकों को श्रमिकों हेतु छाया, ठण्डे पीने के पानी की व्यवस्था एवं प्राथमिक चिकित्सा किट का प्रबन्ध करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

- विभिन्न निर्माण स्थलों/प्रमुख चौखटी पर श्रमिकों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के मध्य भीतर कार्य करने, तापमान से बचाव के लिए ठण्डी व तरल पेय का उपयोग करने, गीला कपडा उपयोग करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

- औद्योगिक संस्थानों के नियोजकों को श्रमिकों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु निर्देशित किया गया।

- गर्मी की लहर से संबंधित बीमारियों के संबंध में निर्माण/उद्योग/वाणिज्यिक अधिकारों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
- चरम गर्मी के घंटों से बचने के लिए काम के समय पर सलाह जारी की जा सकती है।
- स्वास्थ्य विभागों के सहयोग से विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्रों और बस्तियों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
- श्रमिकों के लिए सभी कार्य परिसरों में पेयजल की सुविधा की जा रही है।

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त, टोंक

क्रमांक:— 222 दिनांक — 8/4/25

श्रीमान जिला कलेक्टर,
टोंक

विषय:— जन समुदाय को हीटवेव (लू ताप—घात) के प्रकोप से बचाव हेतु दिये गये दिशा—निर्देशों की पालना करवाये जाने के सम्बन्ध में अपने—अपने विभाग की पूर्ण प्रगति के साथ सॉफ्ट कॉपी में भिजवाये जाने के क्रम में।

संदर्भ:— आपके पत्र क्रमांक 1600—11 दिनांक 08.04.2025 के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध मे निवेदन है कि जन समुदाय को हीटवेव (लू ताप—घात) के प्रकोप से बचाव हेतु जिले में स्थित विभिन्न औद्योगिक/वाणिज्य संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को Heat Wave से बचाने के लिये आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के सम्बन्ध में दिशा निर्देशों की पालना करवाये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये है। जिले में स्थित विभिन्न औद्योगिक/वाणिज्य संस्थानों द्वारा सभी दिशा निर्देशों की अनुपालना रिपोर्ट व छायाचित्र भिजवाये जाने हेतु भी पत्र क्रमांक 206—209 दिनांक 04.04.2025 द्वारा निर्देशित किया गया है।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

सहायक श्रम आयुक्त,
टोंक

D/Letter

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग
कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त, टोंक (राज०) दिनांक – 04/04/2025

क्रमांक– 306–319
1–टाटा ईंट भट्टा, पालड़ा रोड, टोंक
2–बीठला ईंट भट्टा, पालड़ा रोड, टोंक
3–जयश्री ईंट भट्टा, पालड़ा रोड, टोंक
4–जी.बी.सी. ईंट भट्टा, पालड़ा रोड, टोंक
5– आर.बी.सी. ईंट भट्टा, पालड़ा रोड, टोंक
6–अमरनाथ एन्टरप्राईजेज पालड़ा रोड, टोंक
7–टी.बी.सी. ईंट भट्टा, ग्राम मोरड़ा टोंक
8–बी.बी.यू. बालाजी ब्रिक्स, राजमहल देवली, टोंक
9–चौधरी ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज, ग्राम सोडा, मालपुरा, टोंक
10–एस.बी.सी. ईंट भट्टा ग्राम मोरड़ा टोंक
11–डी.एम.सी. ईंट भट्टा ग्राम मोरड़ा टोंक
12–जे.एस.बी. ईंट भट्टा ग्राम मोरड़ा टोंक
13–विनायक ब्रिक्स ईंट भट्टा ग्राम मोरड़ा टोंक
14–एच.बी.सी. ईंट भट्टा ग्राम मोरड़ा टोंक
15–अन्य संस्थान

विषयः–जन समुदाय को हीटवेव (हीट घात) के प्रकोप से बचाव हेतु दिशा–निर्देशों की पालना करवाये जाने के संबंध में।

प्रसंगः– श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के आदेश क्र0 आ.प्र.राहत /हीटवेव /2024–25/1376–91 दिनांक 02.04.2025 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में श्रीमान जिला कलक्टर महोदया द्वारा जन समुदाय को हीटवेव (हीट घात) के प्रकोप से बचाव हेतु दिशा–निर्देशों की पालना करवाये जाने के संबंध निर्देशित किया है। इसी क्रम में जिले में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को सामान्य से अधिक रहने वाले तापमान के दुष्प्रभावों से बचाने के लिये दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना हेतु जिले में स्थित विभिन्न औद्योगिक/वाणिज्य संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को Heat wave से बचाने के लिये आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है–

1– ग्रीष्म ऋतु–2025 में अत्यधिक तापमान रहने के मद्देनजर आपके संस्थान में कार्य करने वाले श्रमिकों हेतु औद्योगिक परिसर में छाया, पानी की व्यवस्था, फर्स्ट–एड बॉक्स (प्राथमिक उपचार पेटी), ओरल रिहाईड्रेशन सॉल्यूशन (ORS), एवं नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें।

2–श्रमिकों को सीधी धूप से बचाने के लिये बाहरी गतिविधियों के दौरान तीव्र धूप/गर्मी के समय श्रमिकों को विश्राम दिया जाना सुनिश्चित करें। Heat wave में किसी भी प्रकार जनहानि के लिये संस्थान मालिक व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे।

अतः उक्त निर्देशों की 2 दिवस में पालना कर अनुपालना रिपोर्ट मय छायाचित्र कार्यालय की मेल आई. डी. labourtonk@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(कमल सिंह चांदोलिया)
सहायक श्रम आयुक्त,
टोंक

दिनांक :– 04-04-2025

क्रमांक :– 320
प्रतिलिपि– श्रीमान जिला कलक्टर महोदय टोंक को सूचनार्थ प्रेषित है–

सहायक श्रम आयुक्त,

टोंक जिले में वर्तमान में हीट वेव के प्रकोप को भविष्य में देखते हुए जिले में श्रम साध्य कार्यो पर नियोजित श्रमिकों को राहत एवं सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में विभिन्न श्रम स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों बाबत नियोक्ताओं को निम्ननानुसार एडवायजरी जारी कर पालना रिपोर्ट प्राप्त की गयी हैः—

1. ग्रीष्म. ऋतु 2025 में अत्यधिक तापमान रहने के मध्यनजर आपके संस्थानों में कार्य करने वाले श्रमिकों हेतु औद्योगिक परिसर में छाया, पानी की व्यवस्था, फर्स्ट —बॉक्स (प्राथमिक उपचार पेटी) ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन (ORS)एवं नियमित स्वास्थ्य परीक्षण आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।

2. श्रमिको को सीधी धूप से बचाने के लिये बाहरी गतिविधियों के दौरान तीव्र धूप/गर्मी के समय श्रमिकों को विश्राम दिया जाना सुनिश्चित करे। Heat wave में किसी भी प्रकार जनहानि के लिये संस्थान मालिक व्यक्तिश उत्तरदायी होगें।

सुविधाए

8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, टोंक –

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, टोंक –

Heat Waves Preparation 2025

Review of Preparation for Dealing with Heat Wave and Other Adverse Climate Events

लू तापघात (ताप लहर) के बचाव हेतु जिला चिकित्सालय में 6 से 10 बेड एवं समस्त चिकित्सा संस्थानों पर 2 से 5 बेड की व्यवस्था की गई है।

- Heat illness and death report IHIP portel पर इंद्राज की जायेगी।
- जिले के पीएचसी स्तर पर 68, सीएचसी पर 13, यूपीएससी पर 6 एवं मुख्यालय स्तर पर 01 आरआरटी टीम का गठन किया जा चुका है।
- चिकित्सा विभाग के पत्रांक 59 दिनांक 11.3.2025 द्वारा लू तापघात हेतु सभी विभागों के समन्वय स्थापित कर बचाव के लिए कार्य योजना जारी की गई।
- सभी सामु0स्वा0केन्द्र/प्रा0स्वा0केन्द्र पर पानी, बिजली की समुचित व्यवस्था कर दी गई है।
- विभाग के आदेश क्रमांक 73 दिनांक 18.03.2025 से सभी सामु0स्वा0केन्द्र/प्रा0स्वा0केन्द्र को आवश्यक चिकित्सा किट/दवाईया उपलब्ध करवाई गयी है।
- सभी चिकित्सक/पैरामेडिकल स्टाफ को Heat Related illnèss के उपचार की Training दे दी गई है।
- जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में तीन कमेटिया गठित कर दी गई है।
  1. जिला स्तर पर
  2. सामु0 स्वा0 केन्द्र पर
  3. प्रा0 स्वा0 केन्द्र पर
- लू तापघात (ताप लहर) के बचाव हेतु वर्ष 2025 की कार्य योजना बना ली गई है।
- सभी सामु0स्वा0केन्द्र/प्रा0स्वा0केन्द्र पर पानी बिजली की समुचित व्यवस्था कर दी गई है।
- सभी सामु0स्वा0केन्द्र Heat Related illness के उपचार के लिये 5 बेड आरक्षित कर दिये गये है।
- Heat Wave से बचने के लिए आवश्यक किट सभी सीएचसी/पीएचसी पर उपलब्ध करा दिये गये है।
- सभी चिकित्सक/पैरामेडिकल स्टाफ को Heat Related illness के उपचार की Training दे दी गई है।
- Heat illness & Death Report IHIP portal पर इन्द्राज करने के लिये सभी को पाबन्द किया गया है।

टोंक जिले में खण्ड टोड़ारायसिंह सहित पीएचसी स्तर पर 68, सीएचसी पर 13 यूपीएचसी स्तर पर 6 तथा मुख्यालय स्तर पर 1 आरआरटी टीम का गठन किया जा चुका है।

IHIP-Integrated Health Information Platform HRI Facility Reporting						
OFFICE OF THE CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER TONK						
15-03-2025 to 22-04-2025						
SN.	Sub District	Total No. of Emergency	Total No. of Heat Strock	Present Status of Heat Strock Case		
				Cured	Under Treatment	Death
1	Deoli	93	0	0	0	0
2	Duni	36	0	0	0	0
3	Malpura	0	0	0	0	0
4	Niwai	947	0	0	0	0
5	Peeplu	0	0	0	0	0
6	Todaraisingh	31	23	23	0	0
7	Tonk	291	1	1	0	0
8	Uniara	819	0	0	0	0
9	Total	2217	24	24	0	0

Daily Reporting Format

Name of District 22-04-2025

ıme of Institute	Heat Wave Prepration			All equipments Functional	OT Functional (If Any)	Ambulance/Mamt & 104 Janni Express Functional	Medicines Available	Tests Available	Medical with surgicals & sutures
	Beds Reserved	All AC/Water Cooler Functional	Driking Water Available						
ɔat Hospital k(DH)	10	Yes	Available	Yes	Functional	yes	Yes	Yes	774
pura (DH)	10	Yes	Available	Yes	Functional	yes	Yes	Yes	526
ɾai(SDH)	6	Yes	Available	Yes	Functional	yes	Yes	Yes	728
li(SDH)	6	Yes	Available	Yes	Functional	yes	Yes	Yes	671
araisingh(SDH)	6	Yes	Available	Yes	Functional	yes	Yes	Yes	620
an(CHC)	5	Yes	Available	Yes	Functional	yes	Yes	Yes	511
yakedar(CHC)	2	Yes	Available	Yes	-	Not Available	Yes	Yes	383
plu(CHC)	5	Yes	Available	Yes	Functional	Yes	Yes	Yes	492
ıy(CHC)	5	Yes	Available	Yes	Functional	yes	Yes	Yes	630
:was(CHC)	5	Yes	Available	Yes	Functional	yes	Yes	Yes	540
arh(CHC)	5	Yes	Available	Yes	Functional	yes	Yes	Yes	611
ıra(CHC)	5	Yes	Available	Yes	Functional	Not Available	Yes	Yes	736
etha(CHC)	2	Yes	Available	Yes	-	yes	Yes	Yes	634
ni(CHC)	5	Yes	Available	Yes	Functional	yes	Yes	Yes	587
ba Kalan(CHC)	2	Yes	Available	Yes	-	Not Available	Yes	Yes	506
;i(CHC)	5	Yes	Available	Yes	Functional	Not Available	Yes	Yes	526
arFort(CHC)	2	Yes	Available	Yes	-	yes	Yes	Yes	745
ırda(CHC)	2	Yes	Available	Yes	-	yes	Yes	Yes	411
s(68)	136	Yes	Available	Yes	-	at 15 PHC Yes and at 53 PHC	Yes	Yes	average 350 at each phc
Cs(6)	10	Yes	Available	Yes	-	Not Available	Yes	Yes	average 308 at each uphc
ı	234								

. . Health Officer,Tonk

राजस्थान–सरकार

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक (राज.)

Email ID- tonk_ldsp@yahoo.co.In

क्र/तापघात/2025/59 Date 11-3-25

लू–तापघात (ताप लहर) के बेहतर प्रबंधन हेतु कार्य योजना वर्ष 2025

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जिला–टोंक (राज.)

संभावित परिदृश्य :–

लू ताप घात से आम जनता भली प्रकार से परिचित हैं एवं समय–समय पर सरकार एवं अन्य स्वयं सेवी संस्थायें विभिन्न माध्यमो से स्वास्थ्य शिक्षा एवं लू तापघात से बचने के लिये जन जागृती पैदा करती रही है। लु तापघात, शरीर मे लवण व पानी की आवश्यकता व अनुपात के विकृति के कारण होती हैं। मस्तिष्क का एक केन्द्र जो मानव के तापमान को समान्य बनाये रखता हैं । जो काम करना छोड़ देता है । लाल रक्त कोशिकायें रक्त वाहिनीयो में टूट जाती है व कोशिकाओं में जो पोटेशियम लवण होता है व रक्त संचार में आ जाता हैं। इसमें हृदय गति व शरीर के अन्य अवयव व अंग प्रभावित हो कर लू तापघात के रोगी को मृत्यु के मुहॅ में धकेल देते है।

इस गर्मी के प्रकोप मे लू से कोई भी आकान्ता/ग्रसित हो सकता है। परन्तु बच्चे, वृद्ध, गर्भवती महिलाऐं धुप में व दोपहर मे कार्यरत श्रमिक, यात्री खिलाडी व ठंडी जलवायु मे रहने वाले व्यक्तियो के लू लगने की संभावनांये अधिक रहती है।

लू तापघात के लक्षण :–

1. सिर का भारीपन व सिरदर्द।
2. अधिक प्यास लगना व शरीर मे भारीपन के साथ थकावट।
3. जी मिचलाना, सिर चकराना व शरीर का तापमान अत्यधिक बढना (105F. या अधिक) हो जाना , पसीना आना बन्द होना, मुंह का लाल होना एवं त्वचा का सूखा होना।
4. पानी की कमी होना, बैहोशी जैसी स्थिति का होना/ बेहोश होना।
5. प्राथमिक उपचार/समुचित उपचार के अभाव में मृत्यु भी संभव है।

लू तापघात से बचाव के उपाय :–

1. लू तापघात से प्रायः कुपोषित बच्चे, वृद्ध गर्भवती महिलाऐं, श्रमिक आदि शीध प्रभावित हो सकते है। इन्हे प्रातः 11:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक तेज गर्मी से बचाने हेतु छायादार ठंडे स्थान पर रखने का प्रयास करें।
2. तेज धुप मे निकलना पड़े तो ताजा भोजन करके उचित मात्रा मे ठंडे जल का सेवन कर बाहर निकले।
3. थोडे–थोड़े अन्तराल मे ठंडा पानी, शीतल पेय जैसे–छाछ, आम का पना, ताजा फलो का रस आदि का सेवन करे।
4. तेज धुप मे बाहर निकला पड़े तो छाते का उपयोग करे तथा शरीर के अंगो/सिर आदि को हल्के रंग के सुती कपड़े से ढक कर रखें।
5. अकाल राहत कार्य/निर्माण कार्य स्थलो पर श्रमिको हेतु छाया एवं पानी की उचित व्यवस्था रखी जावें। ताकी श्रमिक थोड़ी–थोड़ी देर मे छायादार स्थानो पर विश्राम कर सकें।

लू तापघात का उपचार :–

1. लु तापघात से प्रभावित रोगी को तुरन्त हवा व छायादार ठंडे स्थान पर लिटा दें।
2. रोगी की त्वचा को गीले कपड़े से स्पंज करते रहें तथा रोगी के कपड़ो को ठीला कर दें। रोगी के आस–पास भीड़ ईकठ्ठा ना होने दें।
3. रोगी होश मे हो तो उसे ठंडे पेय पदार्थ देवें।
4. रोगी को तत्काल नजदीक के चिकित्सालय मे उपचार हेतु लेकर जावें।

1. जिले के समस्त सामु0 / प्राथ0 / शहरी प्राथ0 स्वा0 केन्द्र पर कन्ट्रोल रूम एवं रेपिड रेसपोंस टीमों का गठन किया जा चुका। सभी चिकित्सा संस्थानो मे आवश्यक ऐम्बुलेंस, दवाइयों, मोबाइल चिकित्सा दलों, जीवन–रक्षक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

2. चिकित्सा संस्थानो में लू–तापघात के रोगीयों हेतु दो–चार बैड की अलग से व्यवस्था सुनिश्चि करवाई जा रही है। तथा वार्ड को ठण्डा रखने के लिये कुलर, पखें की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। तथा रिपेरिंग वाले कुलर पंखो की रिपेरिंग करवाई जा रही है।

3. जिले के जिला चिकित्सालय सहित सभी चिकित्सा संस्थानो पर उपचार हेतु आवश्यक दवाईयां, ओ.आर.एस., ड्रिप सेट, आई.वी फ्लूड–जी.एन.एस / जी.डी.डब्ल्यू / आर.एल0आदि उचित मात्रां मे उपलब्ध है।

टोंक जिले में गर्मियों में तापमान अधिक रहने की सम्भावना बनी हुई है। जिससे लोगो की जानें चली जाती है। फसलों को क्षति पहुंचती है, पानी की कमी हो जाती है। बीमारियां फैलने लगती है और तमाम स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाती है। बीकानेर

Temperature Table Last 5 Year Dist-Tonk (Raj.)

Year	Month	Max (Temp in C.)	Min (Temp In C.)	Average (Temp in C.)
2020	May	44	23	34
	June	46	21	33
2021	May	42	20	32
	June	41	20	33
2022	May	45	21	36
	June	43	23	34
2023	May	43	31	37
	June	40	32	36
2024	May	46	36	41
	June	43	34	38
Source of above information		https://www.timeanddate.com/		

लू–ताप लहर का मुकाबला करने के लिए बचाव, राहत, रिसपॉन्स और पुनर्वास ऑपरेशन में संलग्न विभागो, एजेंसियों और सहभागियों के लिए निम्न लिखित कार्य योजनाएं है :–

क्रमांक	विभाग	लू–तापघात कार्य योजना
1.	जिला प्रशासन	• जरुरी दिशानिर्देश जारी करना तथा सभी विभागो के बीच कारगर एंव सम्बधित रिसपॉन्स सुनिश्चित करना। • मूल्यांकन के आधार पर मुआवजे की व्यवस्था करना।
2.	पीआरआई / स्थानीय प्रशासन	• सभी अधिकारियों जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, चौकीदार, आशा सहयोगिनी, आंगनबाडी सेविका को निर्देश देना कि वे प्रशासन को समय–समय पर जानकारी दें जिससे लोगों की शिकायतों को दूर करने के उपाय किये जा सके। • स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करना। • हाइजीन और सेनिटेशन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना। • जिल के समस्त मनरेगा स्थलों पर कार्य कर रहे लोगों के लिए लू–तापघात से बचाव के लिए समुचित प्रबंध करना उनके पीने [illegible] बैठने की उचित व्यवस्था

		की कीट) की उपलब्धता सदैव बनाये रखने हेतु चिकित्सा विभाग से समन्वय बनाये रखना। अलर्ट एवं चेतावनी चरण 1. सभी अग्निशमन केन्द्रो को चेतावनी जारी करना। 2. सभी संसाधनों को तैयार अवस्था में रखना। आपदा के दौरान 1. पानी के टैंकर, ट्रेक्टर, क्रेन्स और अन्य उपकरण जैसे अग्नि सूट, मास्क, कम्बल, जेनरेटर, आदि तैनात करना और पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 2. तेल, गैस एवं अन्य खतरनाक पदार्थो के रिसाव से पैदा होने वाली संभावित संकटकालीन स्थितियों पर नियंत्रण रखना। रिसपॉन्स एवं पुनर्वास चरण 1 लू–तापघात का कारगर तरीके से मुकाबला करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स(एस.एच.जी), व सरकारी संस्थाओ में समन्वय स्थापित करना। • पंचनामा के आधार पर मुआवजा दिलवाना।
3	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	➢ लोगों को स्वास्थ्य, सेनिटेशन एंव हाइजीन के बारे में जागरुक करने के लिए आईईसी द्वारा जारी नोटिस, पोस्टर, जिंगल्स, रेडियों टीवी कार्यक्रमों को जारी/प्रकाशित करना। ➢ सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यो के बारे में मीडियों के लिए बुलेटिन जारी करना। ➢ अफवाहो से बचने के लिए यह सुनिश्चित करना कि मीडिया को दी गई सूचनाएं एकदम सही है। ➢ आपदा के समय क्या करें और क्या ना करें, के बारे में संबंधित अन्य लोगों को जानकारी प्रसार करना। ➢ नवीनतम आपातकालीन स्थिति के बारे में सार्वजनिक जानकारी रखें (प्रभावित क्षेत्र, जान–माल नुकसान आदि)। ➢ लोगों को विभिन्न आपदा पश्चात् सहायता और रिकवरी कार्यक्रम के बारे में सूचित करना। ➢ समय–समय पर बुलेटिन जारी करना। ➢ सरकार द्वारा किये जा रहे राहत कार्यो की जनता को जानकारी देना।
4.	चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग	➢ जिले मे जिला चिकित्सालय के साथ समस्त ब्लॉक स्तर/समस्त सामु0/प्राथ0/ शहरी प्राथ0 स्वा0 केन्द्र पर कन्ट्रोल रूम एवं रेपिड रेसपोंस टीमों का गठन किया जा चुका। सभी चिकित्सा संस्थानो मे आवश्यक ऐम्बुलेंस, दवाइयों, मोबाइल चिकित्सा दलों, जीवन–रक्षक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। ➢ जिला चिकित्सालय में लू–तापघात के रोगीयों हेतु वार्ड मे छः से दस बैड एवं जिले के अन्य समस्त चिकित्सा संस्थानों पर लू–तापघात के रोगीयों हेतु वार्ड मे दो–चार बैड की अलग से व्यवस्था की जावे। वार्ड को ठण्डा रखने के लिये कुलर, पखें की

		➢ इसी तरह फ्लू, जल जनित रोग के रोगियों को अलग वार्ड में रखना। ➢ जिले के जिला चिकित्सालय सहित सभी चिकित्सा संस्थानो मे आने वाले रोगियो एवं परिजनो हेतु पीने के ठण्डे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना। ➢ जिले के जिला चिकित्सालय सहित सभी चिकित्सा संस्थानो पर उपचार हेतु आवश्यक दवाईयां, ओ.आर.एस., ड्रिप सेट, आई.वी फ्लूड–जी.एन.एस / जी.डी.डब्ल्यू. / आर.एल0आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है ➢ नगर पालिका, स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से सम्पर्क कर जगह–जगह पानी एवं छांया की व्यवस्था करने हेतु प्रेरित करना। ➢ शिक्षा विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग से समन्वय स्थापित कर स्कुलों / आगंनवाडी केन्द्रो का समय परिवर्तन करवाने हेतु अनुरोध किया जावे। ➢ जिले मे संचालित होने वाले शिविर स्थलों पर पानी, कुलर, छांया एवं आवश्यक दवाईयो की उपलब्धता सुनिश्चित करावें। ➢ लू–तापघात की दैनिक रिर्पोट कार्यालय को प्रतिदिन दोपहर दो बजे तक कार्यालय की ई–मेल आईडी (tonk_idsp@yahoo.co.in) पर या फोन के माध्यम से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। ➢ उपकरण / मशीन(पंखे, कूलर, वाटर कूलर, वार्ड के ए.सी. इत्यादि, को अपग्रेड और कार्यरत स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए। ➢ ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर लगाना एवं मोबाईल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) / मोबाईल मेडिकल वेन (एमएमवी) व आरबीएसके टीमों द्वारा लोगों, विषेशरुप से महिलाओं और बच्चों, के पौषण स्तर का परीक्षण और जरूरी इलाज करना। ➢ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस (प्रत्येक माह की 9 तारीख) पर गर्भवती महिलाओं को लू–तापघात एवं अन्य मौसमी बिमारियों से बचाव व उपचार के प्रति जागरुक करना। ➢ होटलों / दुकानों / ठेलों एवं सामुदायिक रसोई में दूशित व मिलावटी खाद्यान्नो एवं पके हुये खाद्य सामग्री का परीक्षण एवं उन्हें नष्ट करवाना। ➢ पीएचईडी विभाग से समन्वय स्थापित कर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना। ➢ मौसमी बिमारियों पर सतत निगरानी बनाये रखना।
5.	आयुर्वेद	➢ चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना और सहयोग देना। ➢ जिले के जिला आर्युवेद चिकित्सालय के साथ समस्त आर्युवेद चिकित्सालयों पर कन्ट्रोल रुम एवं चिकित्सा दलो का गठन करना। सभी चिकित्सा संस्थानो में आवश्यक दवाइयों, चिकित्सा दलों, जीवन–रक्षक औशधियों की व्यवस्था करना।

		➢ जिले के जिला आर्युवैद चिकित्सालय में लू–तापघात के रोगीयों हेतु वार्ड मे दो से चार वैड एवं जिले के अन्य समस्त आर्युवेद चिकित्सालय पर लू–तापघात के रोगीयों हेतु वार्ड में वैड की अलग से व्यवस्था की जावे। वार्ड को ठण्डा रखने के लिये कुलर, पखें की व्यवस्था होना आवश्यक है। ➢ चिकिंत्सा संस्थानो मे आने वाले रोगियो एवं परिजनो हेतु पीने के ठण्डे पानी व छांया की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
6.	पशु पालन विभाग	➢ वैटेरिनरी अधिकारियों को चिकित्सा विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य करना। ➢ जिले के समस्त पशु चिकित्सालयों में चिकित्सा दलो का गठन करना। सभी चिकित्सा संस्थानो में पशुओं हेतु आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था करना। ➢ पशुपालकों की बैठक आयोजित कर रक्त टाईफस रोग के बारे में जानकारी देना एंव पशुओ व बाड़ों में साईपरमेथ्रिन का छिड़काव कराना। ➢ पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बिमारियों पर सतत निगरानी बनाये रखना। ➢ पीडित जानवरों एवं पक्षियों का संगरोधन। ➢ जानवरों का टीकाकरण कर पशुओं की बीमारियों पर नियंत्रण करना। ➢ मृत जानवरों और पक्षियों का सुरक्षित डिस्पोजल करना।
7.	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	➢ पर्याप्त मात्रा में वाटर टैंकर, ब्लीचिंग पाउडर, नये हैंन्डपंप लगाना, वर्तमान हैंडपम्प की मरम्मत करना, क्लोरिनेशन आदि की व्यवस्था करना। ➢ हाइजीन और सेनिटेशन के बारे में जागरूकता फैलाना। ➢ सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, जल की गुणवत्ता की निगरानी और उन्नत सेनिटेशन। ➢ सभी ग्राम पंचायतों को घरों में बांटने के लिए जल को शुद्ध करने वाली गोलियां(क्लोरिन), ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरिन की सप्लाई करना। ➢ स्वास्थ्य एवं सेनिटेशन के बारे में लोगों को जागरुक करने के लिए आईईसी द्वारा जारी नोटिस, पोस्टर, पेन्टिंग्स, मीडिया आदि का प्रयोग। ➢ नियमित एवं अन्य स्त्रोतों से जल की उचित आपूर्ति। ➢ अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता। ➢ जहाँ विजली की सप्लाई बन्द हो गई है वहाँ जनरेटर सेट की व्यवस्था करना तथा पानी के टेंकर का इंतजाम करना। ➢ जिले के जिन स्थानों पर लोग पानी के बिल जमा कराने आते है उन स्थानों पर आने वाले आमजन हेतु पीने के ठण्डे पानी व छांया की व्यवस्था करना।
8.	पुलिस	➢ कानून एंव व्यवस्था बनाये रखना। ➢ भीड को नियंत्रित करना और बचाव एवं राहत कार्यो व उचित ट्राफिक व्यवस्था के लिए प्रवेश एवं निकास स्थान नियत करना। ➢ ... को रोकने के लिए जरूरी उपाय करना।

दिना

	एनसीसी और स्काउटस	➢ स्वयंसेवी उपलब्ध कराना। ➢ मौसमी बिमारियों व आपदा से बचाव व राहत कार्यो में सहयोग प्रदान करना।
10.	बिजली बोर्ड	➢ बिजली की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना। ➢ जिले के जिन स्थानों पर लोग बिजली के बिल जमा कराने आते है उन स्थानों पर आने वाले आमजन हेतु पीने के ठण्डे पानी व छांया की व्यवस्था करना।
11.	नागरिक आपूर्ति	➢ बर्फ की आपूर्ति और जैनरेटर्स की व्यवस्था करना। जिले में दूषित खाद्य पदार्थ / मिलावटी खाद्य पदार्थ की जाचं कर नष्ट करवाना एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करना। ➢ जिले में राशन की दुकानों आने वाले लाभार्थियों हेतु पीने के ठण्डे पानी व छांया की व्यवस्था करना।
12	सेना	➢ चिकित्सको, चिकित्सा संस्थानो, सरकारी वाहनो एवं अन्य बचाव की सामग्री मुहैया करवाना ।
13	रेल्वे	➢ जिले के सभी रेल्वे स्टेशनों पर यात्रा करने वाले यात्रियों एवं आमजन हेतु पीने के ठण्डे पानी व छांया एवं प्राथमिक उपचार एवं आवश्यक जीवन रक्षक औषधियों की व्यवस्था सुनिश्चित करना। ➢ आपदा की स्थिति में पीड़ित लोगो को ले जाने के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था करना। ➢ प्रशासन की मांग पर पानी की ट्रेन की व्यवस्था करना।
14	सडक परिवहन	➢ यात्रियों के लू-तापघात से बचाव के लिए समुचित प्रबंध करना। ➢ जिले के सभी बस स्टेण्डों / यात्री प्रतिक्षालयों पर यात्रियों एवं आमजन हेतु पीने के ठण्डे पानी एवं छांया व बैठने की उचित व्यवस्था करना। ➢ प्रशासन के निर्देशानुसार पीड़ितो को अस्पताल पहुंचाने के लिए विशेष बसों की व्यवस्था करना।
15	दूरसंचार विभाग	➢ बेहतर संचार नेटवर्क जारी रखना। ➢ क्षतिग्रस्त लाइनों और नेटवर्क को पुनःचालू करना। ➢ आपदा की स्थिति में आमजन तक त्वरित संदेश पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
16	रेडियो दूरदर्शन एवं अन्य न्यूज जैनल	➢ लोगो को स्वास्थ्य, सेनिटेशन एवं हाइजीन के बारे मे जागरूकता करने के लिये आईईसी द्वारा जारी नोटस, पोस्टर, जिन्गल्स, रिडियो टीवी पर जागरूकता कार्यक्रमो का प्रसारण करना। ➢ सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासो के बारे मे मीडिया के द्वारा समय-समय पर बुलैटिन जारी करना।
17	एन.जी.ओ.	➢ राहत व बचाव के कार्यों में प्रशासन की मदद करना। ➢ पीड़ित लोगों को उपचार की सेवाओं की व्यवस्था करना। ➢ आमजन के सहयोग हेतु पीने के ठण्डे पानी के लिए विशेष स्थानों पर प्याऊ की व्यवस्था करना।

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर
E-mail ID<npcchhrajasthan@gmail.com>

National Programme on Climate Change and Human Health

क्रमांकः चि.प्र. / NPCCHH / 2025 / 136 दिनांक 12.03.2025

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
2. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा०)
एवं नोडल ऑफिसर, एनपीसीसीएचएच कार्यक्रम
राजस्थान।

विषय–राज्य में हिट वेव से संबंधित प्रोटोकोल की पालना के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जलवायु परिवर्तन के संदर्भ मे प्रतिदिन हो रहे असामान्य तापमान में वृद्धि के कारण मानव स्वास्थ्य पर मौसम का दुष्प्रभाव लक्षित हो रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुये हिट वेव के दौरान समुचित प्रबंधन हेतु संबंधित प्रोटोकोल आपको सुलभ संदर्भ हेतु भिजवाया जा रहा है:–

List of Protocols

1. Treatment Protocol for Heat Exhaustion.
2. Algorithm for the initial evaluation of a patient with suspected heat related illness.
3. Management workflow of Suspected Heatstroke victims at PHC level before referral to higher centre.
4. Management Workflow in Emergency Department for Management of Heatstroke Patient at tertiary level.
5. Management workflow in Emergency Department for Management of Heatstroke in children.
6. Management workflow in Emergency Management of Heatstroke in Adult Patient.
7. Emergency Cooling of Severe HRI Case during Ambulance Transport.
8. Sign, Symptoms and Treatment of Patients with Heat Stroke.
9. Cooling Methods.

लू–तापघात प्रबंधन एवं प्राथमिक उपचार से संबंधित विडियो लिंकः–

1. https://youtu.be/A-x3L-C4AoE (Management of Heat Stroke Mockdrill)
2. https://youtu.be/4L8xnnZ2txg (TACO Mathod)

नोट.–उक्त प्रोटोकोल का डिसप्ले आईडेन्टीफाई डेडिकेटेड हिट स्ट्रोक रूम में कराना सुनिश्तिच करावें तथा उक्त विडियो लिंक को आपके जिले के चिकित्सा कर्मियों एवं एम्बुलेन्स कार्मिकों के वाट्सऐप ग्रुप पर शेयर करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(डॉ. रवि प्रकाश शर्मा)
निदेशक (जन स्वा.)

क्रमांकः चि.प्र. / NPCCHH / 2025 / 136 दिनांक 12.03.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. मिशन निदेशक, एनएचएम, मुख्यालय।
3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, एनसीडीसी, स्वास्थ्य एवं प०क० मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. अति० निदेशक (चि.प्र.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर (राज.)।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायं, राजस्थान को भेजकर लेख है कि आप अपने अधीन जिलों में सुपरविजन एवं मॉनिटरिंग की सुनिश्चितता करावें।
6. हैल्थ स्पेशलिस्ट, यूनिसेफ, राजस्थान।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय।
8. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. नरौत्तम शर्मा)
अति० निदेशक (चि.प्र.) एवं
प्रभारी, एनपीसीसीएचएच

Office of the Chief Medical & Health Officer,Tonk

Integrated Disease Surveill Programme
E-mail: tonk_idsp@yahoo.co.in
Phone No. 01432-244099

क्रमांक / आईडीएसपी / 2025 / 73 दिनांकः— 18-3-25

समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जिला टोंक।
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सा.स्वा. केन्द्र
समस्त जिला टोंक।

विषयः—राज्य में हिट संबंधित प्रोटोकोल की पालना के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जलवायु परिवर्तन के सन्दर्भ में प्रतिदिन हो रहे असामान्य तापमान मे वृद्धि के कारण मानव स्वास्थ्य पर मौसम का दुरुप्रभाव लसित हो रहा है इसी को ध्यान में रखते हुये हिट वेव के दौरान समुचित प्रबन्धन हेतु सम्बन्धित प्राटोकोल आपको सुलभ सन्दर्भ भिजवाया जा रहा है।

1-Treatment Protocol for Heat Exhaustion .
2-Algorithn for the initial evaluation of a patient with suspected heat realated illness.
3-Managent workflow of suspected heat strock victim at phc level before referred to higher center.
4-Management workflow in emergency Department for Management of Heatstrocke Patient at tertiary level .
5-Menagemet workflow in emergency Deparment for Management of Heatstroke in children.
6-Managenment workglow in emergency management of Heatstroke in Adult patient .
7-Emergency cooling of seveve MRI Case during Ambulance Transport .
8-Sign , Symptoms and Treatment of patients with Heat Stroke.
9-Cooling Methods.

लू—तापघात प्रबन्धन एंव प्राथमिक उपचार सं संबंधित विडियो लिंक—
1-https://youtu.be/A-X3L-c4AoF (Management of Heat Stroke Mockdrill)
2-https://youtu.be/4L8xnnz2txg (TACO Mathod)

नोट— उक्त प्रोटोकोल का डिस्पले आईडेन्टीफाई हिट स्ट्रोक फम मे कराना सुनिश्चित करावे तथा उक्त लिंक को आपके खण्डव सीएचसी क्षेत्र मे चिकित्सा कर्मियो एंव एम्बूलेन्स कार्मिको के वाट्ऐप ग्रुप पर शेयर करे।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
टोंक

क्रमांक / आईडीएसपी / 2025 / दिनांकः—

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है ।
1.श्रीमान् अति. निदेशक (ग्रा.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।3.
2.श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,टोंक।
3.श्रीमान् संयुक्त निदेशक चिकि० एवं स्वा० सेवाऐं, जोन अजमेर।
4.कार्यालय प्रति।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
टोंक

Letter 2024 Docx1044

Department of Medical, Health & Family Welfare
Government of Rajasthan

राजस्थान सरकार

Treatment Protocol for Heat Exhaustion

Remove from the environmental heat exposure and stop physical activity

↓

Initiate passive cooling procedures

a. Cool-wet towels or ice packs to axillae, groin, and around neck.
b. If patient is stable, may take a cool shower, but evaluate the risk of such activity against gain and availability of other cooling measures
c. Spray cool water or blot cool water onto skin
d. Use fan to blow cool air onto the moist skin

↓

Temperature (lower than 104 °F)

↓

Repeat assessment every 5 minutes

↓

If improving, attempt to orally hydrate
(clear liquids, ORS can be used but not necessary, cool liquids better than cold)

↓

Observe

Temperature (104 °F or above)

↓

Initiate IV rehydration

↓

Immediately transport to the Heatstroke Room in PHC/CHC/SDH/DH for Stabilization.

Page no 13, Training Manual for MO on Prevention and Management of HRI, NPCCHH, NCDC, MOHFW, GoI

Technically supported by unicef for every child

Department of Medical, Health & Family Welfare
Government of Rajasthan

Algorithm for the initial evaluation of a patient with suspected heat related illness

Clinical signs and symptoms -obtain rectal temperature primarily

Rectal temperature < 104 °F (40°C)

- **Central nervous system signs/ symptoms present**
  - Consider the alternatives, central nervous system disease, febrile illness sepsis, hypoglycaemia, hyponatremia, seizure, thyroid storm, toxicity
- **Central nervous system signs/ symptoms absent**
  - Mild form of heat related illness, cramps edema , syncope, exhaustion
  - Treat for Mild heat related illness and observe, monitor symptom resolution, and core temperature
    - Symptoms resolve in < 30 minutes
      - Relative rest, remain in cool place, patient education
    - Symptoms persist ≥ 30 minutes or clinical deterioration
      - Treat for heat stroke - address airway, breathing and circulation, initiate rapid cooling, start IV fluids, arrange for transport for emergency care

Rectal temperature ≥ 104 °F

- **Central nervous system signs/ symptoms absent**
- **Central nervous system signs/ symptoms present**

Technically supported by unicef for every child

Department of Medical,
Health & Family Welfare
Government of Rajasthan

राजस्थान सरकार

Management workflow of Suspected Heatstroke victims at PHC level before referral to higher centre

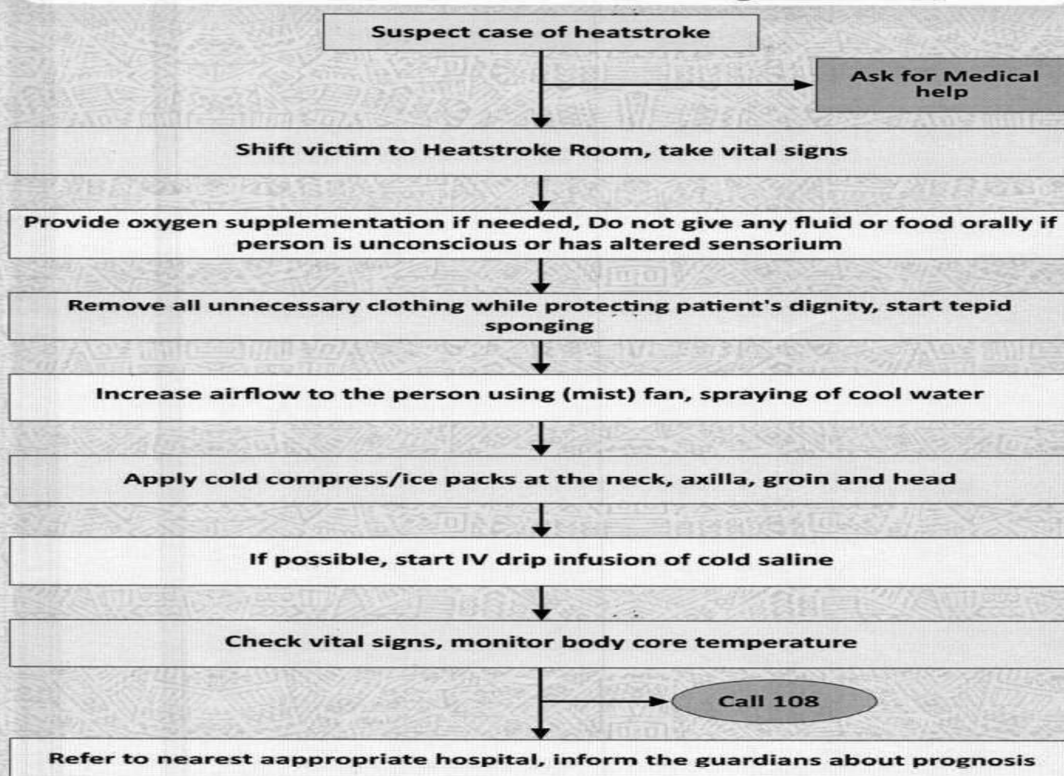

Technically supported by unicef for every child

Page no 6, National Action Plan on HRI, NPCCHH, NCDC, MOHFW, GoI (July 2021)

Management Workflow in Emergency Department for Management of Heatstroke Patient at tertiary level

Primary triage – confirm heatstroke

↓

Reassess airway, breathing and circulation, IV access, emergency investigations

↓

Provide definitive airway protection if necessary

↓

Institute active cooling measures

1. Remove all clothing while protecting patient's dignity
2. Cover with thin wet cloth sheet / spray cool water
3. Ice pack over head, neck, groin and axillary regions
4. Use mist fan / evaporative method
5. Tepid sponging / cool blankets if available
6. Make the child lie down; raise the feet slightly
7. Avoid Paracetamol or NSAIDS
8. Consider gastric lavage with cold saline

↓

Administer intravenous fluids judiciously
(be cautious with patient 's premorbid status)
Look out for pulmonary edema

↓

Close monitoring of the following:

1. Temperature every 15-30 minutes (do not overcorrect to less than 38°C)
2. Vital signs (BP/HR/SpO2), watch for altered cardiac rhythms (ECG), altered mental status (GCS)
3. Look out for complications of treatment: -
   a. Acute pulmonary edema
   b. Hypothermia
4. Seizure (treat with benzodiazepines)
5. Prevent shivering (by paralyzing patient if intubated)
6. Look for signs of coagulopathy
7. Arterial Blood Gas (ABG) analysis regularly – look for metabolic acidosis
8. CT brain – to look for complications or rule out intracranial pathology
9. Co-management and referral to intensive care unit
10. Inform / communicate with next of kin regarding patient condition & prognosis

Technically supported by unicef for every child

राजस्थान सरकार

Department of Medical, Health & Family Welfare
Government of Rajasthan

Management workflow in Emergency Department for Management of Heatstroke in children

Primary triage – confirm heatstroke

↓

Assess the airway, breathing, circulation, and (neurologic) impairment, ensure IV access and send relevant investigations

- ✓ Consider intubation if necessary
- ✓ Consider benzodiazepines for seizures, or excess shivering

↓

Shock

- ✓ Normal saline bolus @ 20 ml/kg and reassess
- ✓ Repeat bolus if necessary upto total of 60 ml/kg
- ✓ Watch for features of fluid overload
- ✓ Continue normal maintenance fluid

No Shock

Assess dehydration status, correct, Start normal maintenance fluid

↓

Institute active cooling measures:

1.Removal of all clothing while protecting patient's dignity
2.Cover with thin wet sheet and spray cool water
3.Ice pack over head, neck, groin and axillary regions
4.Use mist fan / evaporative method
5.Tepid sponging / cool blankets if available
6.Make the child lie down; raise the feet slightly
7.Avoid Paracetamol or NSAIDS
8.Consider gastric lavage with cold saline

↓

Close monitoring of the following:

1. Temperature every 15-30 minutes (do not overcorrect to less than 38°C). Even hypothermia can be fatal in children
2. Vital signs (BP/HR/SpO2), watch for altered cardiac rhythms (ECG), altered mental status (GCS)
3. Look out for complications of treatment: -
   - 3.1. Acute pulmonary Oedema
   - 3.2. Hypothermia
4. Seizure - treat with benzodiazepines (Midazolam 0.1-0.2 mg/kg/dose slow over 5 minutes I/V or Lorazepam 0.05-0.1 mg/kg/dose over 2-5 minutes I/V
5. Prevent shivering (by paralyzing patient if intubated)
6. Look for signs of coagulopathy
7. Arterial Blood Gases (ABG) regularly – look for metabolic acidosis
8. CT brain – to look for complications or rule out intracranial pathology
9. Continue management and referral to intensive care unit
10. Inform / communicate with next of kin regarding patient condition & prognosis

Page no 11, National Action Plan on HRI & page no 20 Training Manual for Medical Officers for Prevention and Management of Heat Related illnesses, NPCCHH, NCDC, MOHFW, GoI (July 2021)

Technically supported by unicef | for every child

राजस्थान सरकार

Department of Medical, Health & Family Welfare
Government of Rajasthan

Management workflow in Emergency Management of Heatstroke in Adult Patient

Primary triage: Confirm heatstroke
- ✓ Confirm the diagnosis of heat stroke by typical history physical examination and Laboratory workup.

↓

- ✓ Reassess airway, breathing and circulation, IV access
- ✓ Provide definitive airway protection if necessary

↓

Institute active cooling measures (Target to cool to 102°F)
- ✓ Remove all clothing while protecting patient's dignity
- ✓ Make the patient lie down; raise the feet slightly
- ✓ Avoid Paracetamol or NSAIDS. There is no therapeutic role for antipyretics. Paracetamol can worsen liver functions.

Classic Heatstroke
- ✓ Start cooling by evaporation (mist and fan).
- ✓ Cover with thin wet cloth sheet/spray cool water.
- ✓ Ice packs to be placed on groin, axilla, neck, and areas near other great vessels.
- ✓ Tepid sponging/cool blankets if available.

Exertional Heatstroke

Immersion cooling by disposable waterproof zipper body bags can be started.
- ✓ Cold NS gastric lavage may also be tried.

↓

Administer IV fluids judiciously (be cautious with patient's premorbid status and pulmonary Oedema)

Closely monitor following:

1.Temperature (Rectal) every 15 30 minutes. Continuous core temperature monitoring should be done (do not overcorrect to less than 38°C) If rectal temperature recording is not feasible, then use the equation: '0.94 × axillary temperature +2.92' to convert axillary to rectal temperature (in °C).
2.Airway, breathing, circulation to be ensured.
3.Vital signs (BP/HR/SpO2), watch for altered cardiac rhythms (ECG), altered mental status (GCS)
4.RBS and serum electrolytes to be done and corrective actions to be taken.
5.Hypotension despite fluid resuscitation to be preferably corrected by I.V. dopamine or dobutamine.
6.Look out for complications of treatment:
   6.1.Acute pulmonary edema
   6.2.Hypothermia
7.Treat seizure with benzodiazepines (name of commonly available as per (avoid
8.Prevent shivering (by paralyzing patient if intubated)
9.Look for signs of coagulopathy (bleeding, etc. signs)
10.Arterial Blood Gas (analysis regularly look for metabolic acidosis
11.CT brain to look for complications or rule out intracranial pathology, if facility
12.Co-management and referral to intensive care unit
13.Inform communicate with next of kin regarding patient condition prognosis

If rectal temperature recording is not feasible, then use the following equation to convert axillary temperature to rectal temperature (in °C)

0.94 × axillary temperature +2.92

Page no 6, Strengthening Health Systems Preparedness for Heat Related Illnesses (HRI) in India, MOHFW, GOI (18th April, 2023)

Technically supported by unicef for every child

Department of Medical,
Health & Family Welfare
Government of Rajasthan

राजस्थान सरकार

Emergency Cooling of Severe HRI Case during Ambulance Transport

TARGET – Cool and Transport fast to nearest health care facility

Tarp-assisted cooling with oscillation (TACO) method of cooling may be employed in adult cases of exertional heatstroke

↓

- ✓ Identify a suspected case of heat stroke by typical history
- ✓ Taking temperature (preferably by rectal thermometer).

↓

- ✓ Continue cooling in ambulance by evaporation (mist and fan)
- ✓ Place ice packs on groin, axilla, neck, and areas near other great vessels.

↓

Check RBS by glucometer and start intravenous D50W/D25W if hypoglycemic.

↓

Start oxygen supplementation, if needed

Technically supported by
unicef for every child

राजस्थान सरकार

Department of Medical, Health & Family Welfare
Government of Rajasthan

Sign, Symptoms and Treatment of Patients with Heat Stroke

- ➢ Heat stroke occurs when the thermoregulatory mechanisms fail.
- ➢ Body temperature can rise to 106°F or higher within 10-15 minutes.
- ➢ Most severe form of heat-related illness.
- ➢ Lead to death or permanent disability if not treated at the proper time.
- ➢ Medical emergency and requires immediate hospitalization.

Signs

- ✓ Flushed dry skin (not always),
- ✓ Core temperature ≥ 40°C, (103°F or higher),
- ✓ Altered mental status with disorientation, possibly delirium, coma, seizures, tachycardia, +/- hypotension.

Symptoms

1. Severe overheating
2. Profound weakness
3. Disorientation
4. Obtundation
5. Seizures or other altered mental status
6. High body temperature
7. Hot red dry or damp skin
8. Fast strong pulse
9. Headache
10. Dizziness
11. Nausea
12. Confusion

Initial patient assessment

- ✓ Skin may appear pale associated with tachycardia or hypotension.
- ✓ Headache, dizziness, nausea, vomiting, as well as diarrhea and loss coordination may occur.
- ✓ Patients are advised to be in supine position with the elevation of legs.
- ✓ Remove excess clothing of patient while ensuring patient's privacy.
- ✓ Oral fluids recommended for rehydration.
- ✓ Monitor vital signs.
- ✓ Transfer to Heatstroke room if symptoms don't improve after 20-30 minutes of onset.

Diagnosis: It's usually apparent to doctors if the patient have heat stroke, but laboratory tests can confirm the diagnosis.

- ✓ Rule out the other causes for symptoms
- ✓ Assess organ damage

Laboratory and X-rays test

Rectal temperature to check core body temperature of patient.
(A rectal temperature is the most accurate way of determining core body temperature and is more accurate than mouth or forehead temperatures.)
Blood Test to check blood sodium or potassium and the content of gases in the blood to see if there's been a damage to the central nervous system.
Muscle Function Test to check for serious damage to the muscle tissue (rhabdomyolysis).
X-rays and other imaging tests to check for damage on the internal organs.
Urine Test:

- ✓ To check the **color of urine**, because it's usually darker if one has had a heat-related condition,
- ✓ To check the **kidney function**, which can be affected by heat stroke.

Treatment Protocol

- ✓ Immediate shift to Heatstroke room
- ✓ Adjust the room temperature to 20°C–24 °C
- ✓ Administer an intravenous infusion quickly
- ✓ Sponging with ice packs and cold water Or Use cooling blankets
- ✓ Place ice cubes on areas that dissipate heat faster (on either side of the neck, groin, and armpits)
- ✓ Use 200–500 ml of 4°C saline to perform gastric lavage and/or rectal enema
- ✓ Purify the blood
- ✓ Use a lytic cocktail in combination
- ✓ If conditions allow, use an intravascular cooling apparatus or immerse the patient in a cold water bath (water temperature at 15°C–20 °C)

1. Early cooling
2. Early expansion
3. Early blood purification
4. Early sedation
5. Early intubation
6. Early correction of coagulation dysfunction
7. Early resistance to infection
8. Early enteral nutrition
9. Early immune regulation, and
10. Ban on surgical operations during the period of coagulation dysfunction

Specific treatment measures (if required) are "9 EARLY and 1 BAN"

Technically supported by

Cooling Methods

Rapid cooling is the most important treatment measure.

As soon as a patient is removed from the hot environment, immediately begin cooling and continue to monitor core temperature.

Cooling targets are to quickly cool the core temperature to 39°C or below within 10-40 min and to 38.5 °C or below within 2 hrs.

On-site cooling

1. Quickly move the patient from a hot and humid environment to a shady and breezy place.
2. Make the patient lie down, and remove all the clothing while ensuring dignity.
3. Use a cold-water spray or wet towels to wipe the entire body.
4. Use fanning to accelerate evaporation and convection cooling.
5. Continue to monitor the body temperature.

Cooling Enroots

1. Turn on the air conditioning in the ambulance or open the windows.
2. Use cold water to wipe the entire body.
3. Administer an intravenous infusion.
4. Continue to monitor body temperature.

Cooling in the sickroom (Heatstroke Room)

1. Adjust the room temperature to 20°C–24 °C
2. Administer an intravenous infusion quickly
3. Use cooling blankets
4. Place ice cubes on areas that dissipate heat faster (on either side of the neck, groin, and armpits)
5. Use 200–500 ml of 4°C saline to perform gastric lavage and/or rectal enema
6. Purify the blood
7. Use a lytic cocktail in combination
8. If conditions allow, use an intravascular cooling apparatus or immerse the patient in a cold water bath (water temperature at 15°C–20 °C)

Technically supported by unicef for every child

राजस्थान–सरकार

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक (राज.)

Email ID- tonk_idsp@yahoo.co.in

क्रा/मु/तापघात/2025/59 Date-11-3-25

लू–तापघात (ताप लहर) के बेहतर प्रबंधन हेतु कार्य योजना वर्ष 2025

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जिला–टोंक (राज.)

संभावित परिदृश्य :–

लू ताप घात से आम जनता भली प्रकार से परिचित हैं एवं समय–समय पर सरकार एवं अन्य स्वयं सेवी संस्थायें विभिन्न माध्यमो से स्वास्थ्य शिक्षा एवं लू तापघात से बचने के लिये जन जागृती पैदा करती रही है। लु तापघात, शरीर मे लवण व पानी की आवश्यकता व अनुपात के विकृति के कारण होती हैं। मस्तिष्क का एक केन्द्र जो मानव के तापमान को समान्य बनाये रखता हैं । जो काम करना छोड़ देता है । लाल रक्त कोशिकायें रक्त वाहिनीयो में टूट जाती है व कोशिकाओं में जो पोटेशियम लवण होता है व रक्त संचार में आ जाता हैं। इसमें ह्रदय गति व शरीर के अन्य अवयव व अंग प्रभावित हो कर लू तापघात के रोगी को मृत्यु के मुहँ में धकेल देते है।

इस गर्मी के प्रकोप मे लू से कोई भी आकान्ता/ग्रसित हो सकता है। परन्तु बच्चे, वृद्ध, गर्भवती महिलाऐं धुप में व दोपहर मे कार्यरत श्रमिक, यात्री खिलाडी व ठंडी जलवायु मे रहने वाले व्यक्तियो के लू लगने की संभावनांये अधिक रहती है।

लू तापघात के लक्षण :–

1. सिर का भारीपन व सिरदर्द।
2. अधिक प्यास लगना व शरीर मे भारीपन के साथ थकावट।
3. जी मिचलाना, सिर चकराना व शरीर का तापमान अत्यधिक बढना (105F. या अधिक) हो जाना , पसीना आना बन्द होना, मुंह का लाल होना एवं त्वचा का सूखा होना।
4. पानी की कमी होना, बैहोशी जैसी स्थिति का होना/ बेहोश होना।
5. प्राथमिक उपचार/समुचित उपचार के अभाव में मृत्यु भी संभव है।

लू तापघात से बचाव के उपाय :–

1. लू तापघात से प्रायः कुपोषित बच्चे, वृद्ध गर्भवती महिलाऐं, श्रमिक आदि शीध्र प्रभावित हो सकते है। इन्हे प्रातः 11:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक तेज गर्मी से बचाने हेतु छायादार ठंडे स्थान पर रखने का प्रयास करें।
2. तेज धुप मे निकलना पड़े तो ताजा भोजन करके उचित मात्रा मे ठंडे जल का सेवन कर बाहर निकले।
3. थोडे–थोड़े अन्तराल मे ठंडा पानी, शीतल पेय जैसे–छाछ, आम का पना, ताजा फलो का रस आदि का सेवन करे।
4. तेज धुप मे बाहर निकला पड़े तो छाते का उपयोग करे तथा शरीर के अंगो/सिर आदि को हल्के रंग के सुती कपड़े से ढक कर रखें।
5. अकाल राहत कार्य/निर्माण कार्य स्थलो पर श्रमिको हेतु छाया एवं पानी की उचित व्यवस्था रखी जावें। ताकी श्रमिक थोड़ी–थोड़ी देर मे छायादार स्थानो पर विश्राम कर सकें।

लू तापघात का उपचार :–

1. लु तापघात से प्रभावित रोगी को तुरन्त हवा व छायादार ठंडे स्थान पर लिटा दें।
2. रोगी की त्वचा को गीले कपड़े से स्पंज करते रहें तथा रोगी के कपड़ो को ढीला कर दें। रोगी के आस–पास भीड़ ईकट्ठा ना होने दें।
3. रोगी होश मे हो तो उसे ठंडे पेय पदार्थ देवें।
4. रोगी को तत्काल नजदीक के चिकित्सालय मे उपचार हेतु लेकर जावें।

लु तापधात हेतु कार्ययोजना :–

1. जिले के समस्त सामु0/प्राथ0/ शहरी प्राथ0 स्वा0 केन्द्र पर कन्ट्रोल रूम एवं रेपिड रेसपोंस टीमों का गठन किया जा चुका। सभी चिकित्सा संस्थानो मे आवश्यक ऐम्बुलेंस, दवाइयों, मोबाइल चिकित्सा दलों, जीवन–रक्षक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

2. चिकित्सां संस्थानो में लू–तापघात के रोगीयों हेतु दो–चार बैड की अलग से व्यवस्था सुनिश्चि करवाई जा रही है। तथा वार्ड को ठण्डा रखने के लिये कुलर, पखें की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। तथा रिपेरिंग वाले कुलर पंखो की रिपेरिंग करवाई जा रही है।

3. जिले के जिला चिकित्सालय सहित सभी चिकित्सा संस्थानो पर उपचार हेतु आवश्यक दवाईयां, ओ.आर. एस., ड्रिप सेट, आई.वी फ्लूड–जी.एन.एस/जी.डी.डब्ल्यू /आर.एल0आदि उचित मात्रां मे उपलब्ध है।

टोंक जिले में गर्मियों में तापमान अधिक रहने की सम्भावना बनी हुई है। जिससे लोगो की जानें चली जाती है। फसलों को क्षति पहुंचती है, पानी की कमी हो जाती है। बीमारियां फैलने लगती है और तमाम स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाती है। बीकानेर

Temperature Table Last 5 Year Dist-Tonk (Raj.)

Year	Month	Max (Temp in C.)	Min (Temp in C.)	Average (Temp in C.)
2020	May	44	23	34
	June	46	21	33
2021	May	42	20	32
	June	41	20	33
2022	May	45	21	36
	June	43	23	34
2023	May	43	31	37
	June	40	32	36
2024	May	46	36	41
	June	43	34	38

Source of above information https://www.timeanddate.com/

लू–ताप लहर का मुकाबला करने के लिए बचाव, राहत, रिसपॉन्स और पुनर्वास ऑपरेशन में संलग्न विभागो, एंजेसियों और सहभागियों के लिए निम्न लिखित कार्य योजनाएं है :–

कमांक	विभाग	लू–तापघात कार्य योजना
1.	जिला प्रशासन	• जरुरी दिशानिर्देश जारी करना तथा सभी विभागो के बीच कारगर एंव सम्बधित रिसपॉन्स सुनिश्चित करना। • मूल्यांकन के आधार पर मुआवजे की व्यवस्था करना।
2.	पीआरआई/ स्थानीय प्रशासन	• सभी अधिकारियों जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, चौकीदार, आशा सहयोगिनी, आंगनबाडी सेविका को निर्देश देना कि वे प्रशासन को समय–समय पर जानकारी दें जिससे लोगों की शिकायतों को दूर करने के उपाय किये जा सके। • स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करना। • हाइजीन और सेनिटेशन कार्यकमों को प्रोत्साहन देना। • जिल के समस्त मनरेगा स्थलों पर कार्य कर रहे लोगों के लिए लू–तापघात से बचाव के लिए समुचित प्रबंध करना उनके पीने के स्वच्छ ठण्डे पानी एवं छांया व बैठने की उचित व्यवस्था करना। साथ ही ऐमरजेन्सी मेडिकल कीट (आवश्यक दवाईयों

		की कीट) की उपलब्धता सदैव बनाये रखने हेतु चिकित्सा विभाग से समन्वय बनाये रखना। **अलर्ट एवं चेतावनी चरण** 1. सभी अग्निशमन केन्द्रो को चेतावनी जारी करना। 2. सभी संसाधनों को तैयार अवस्था में रखना। **आपदा के दौरान** 1. पानी के टेंकर, ट्रेक्टर, क्रेन्स और अन्य उपकरण जैसे अग्नि सूट, मास्क, कम्बल, जैनरेटर, आदि तैनात करना और पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 2. तेल, गैस एवं अन्य खतरनाक पदार्थो के रिसाव से पैदा होने वाली संभावित संकटकालीन स्थितियों पर नियंत्रण रखना। **रिसपॉन्स एवं पुनर्वास चरण** 1 लू–तापघात का कारगर तरीके से मुकाबला करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स(एस.एच.जी), व सरकारी संस्थाओ में समन्वय स्थापित करना। • पंचनामा के आधार पर मुआवजा दिलवाना।
3	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	➢ लोगों को स्वास्थ्य, सेनिटेशन एंव हाइजीन के बारे में जागरुक करने के लिए आईईसी द्वारा जारी नोटिस, पोस्टर, जिंगल्स, रेडियों टीवी कार्यक्रमों को जारी/प्रकाशित करना। ➢ सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यो के बारे में मीडियों के लिए बुलेटिन जारी करना। ➢ अफवाहो से बचने के लिए यह सुनिश्चित करना कि मीडिया को दी गई सूचनाएं एकदम सही है। ➢ आपदा के समय क्या करें और क्या ना करें, के बारे में संबंधित अन्य लोगों को जानकारी प्रसार करना। ➢ नवीनतम आपातकालीन स्थिति के बारे में सार्वजनिक जानकारी रखें (प्रभावित क्षेत्र, जान–माल नुकसान आदि)। ➢ लोगों को विभिन्न आपदा पश्चात् सहायता और रिकवरी कार्यक्रम के बारे में सूचित करना। ➢ समय–समय पर बुलेटिन जारी करना। ➢ सरकार द्वारा किये जा रहे राहत कार्यो की जनता को जानकारी देना।
4.	चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग	➢ जिले मे जिला चिकित्सालय के साथ समस्त ब्लॉक स्तर/समस्त सामु0/प्राथ0/ शहरी प्राथ0 स्वा0 केन्द्र पर कन्ट्रोल रूम एवं रेपिड रेसपोंस टीमों का गठन किया जा चुका। सभी चिकित्सा संस्थानो मे आवश्यक ऐम्बुलेंस, दवाइयों, मोबाइल चिकित्सा दलों, जीवन–रक्षक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। ➢ जिला चिकित्सालय में लू–तापघात के रोगीयों हेतु वार्ड मे छः से दस बैड एवं जिले के अन्य समस्त चिकित्सा संस्थानों पर लू–तापघात के रोगीयों हेतु वार्ड मे दो–चार बैड की अलग से व्यवस्था की जावे। वार्ड को ठण्डा रखने के लिये कुलर, पखें की व्यवस्था करना।

		➢ इसी तरह फ्लू, जल जनित रोग के रोगियों को अलग वार्ड में रखना। ➢ जिले के जिला चिकित्सालय सहित सभी चिकित्सा संस्थानो मे आने वाले रोगियो एवं परिजनो हेतु पीने के ठण्डे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना। ➢ जिले के जिला चिकित्सालय सहित सभी चिकित्सा संस्थानो पर उपचार हेतु आवश्यक दवाईयां, ओ.आर.एस., ड्रिप सेट, आई.वी फ्लूड–जी.एन.एस / जी.डी.डब्ल्यू / आर.एल0आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है ➢ नगर पालिका, स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से सम्पर्क कर जगह–जगह पानी एवं छांया की व्यवस्था करने हेतु प्रेरित करना। ➢ शिक्षा विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग से समन्वय स्थापित कर स्कुलों / आगंनवाडी केन्द्रो का समय परिवर्तन करवाने हेतु अनुरोध किया जावे। ➢ जिले मे संचालित होने वाले शिविर स्थलों पर पानी, कुलर, छांया एवं आवश्यक दवाईयो की उपलब्धता सुनिश्चित करावें। ➢ लू–तापघात की दैनिक रिर्पोट कार्यालय को प्रतिदिन दोपहर दो बजे तक कार्यालय की ई–मेल आईडी (tonk_idsp@yahoo.co.in) पर या फोन के माध्यम से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। ➢ उपकरण / मशीन(पंखे, कूलर, वाटर कूलर, वार्ड के ए.सी. इत्यादि, को अपग्रेड और कार्यरत स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए। ➢ ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर लगाना एवं मोबाईल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) / मोबाईल मेडिकल वेन (एमएमवी) व आरबीएसके टीमों द्वारा लोगों, विषेशरूप से महिलाओं और बच्चों, के पौषण स्तर का परीक्षण और जरूरी इलाज करना। ➢ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस (प्रत्येक माह की 9 तारीख) पर गर्भवती महिलाओं को लू–तापघात एवं अन्य मौसमी बिमारियों से बचाव व उपचार के प्रति जागरूक करना। ➢ होटलों / दुकानों / ठेलों एवं सामुदायिक रसोई में दूशित व मिलावटी खाद्यान्नो एवं पके हुये खाद्य सामग्री का परीक्षण एवं उन्हें नष्ट करवाना। ➢ पीएचईडी विभाग से समन्वय स्थापित कर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना। ➢ मौसमी बिमारियों पर सतत निगरानी बनाये रखना।
5.	आयुर्वेद	➢ चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना और सहयोग देना। ➢ जिले के जिला आर्युवैद चिकित्सालय के साथ समस्त आर्युवेद चिकित्सालयों पर कन्ट्रोल रूम एवं चिकित्सा दलो का गठन करना। सभी चिकित्सा संस्थानो में आवश्यक दवाइयों, चिकित्सा दलों, जीवन–रक्षक औशधियों की व्यवस्था करना।

		➢ जिले के जिला आर्युवैद चिकित्सालय में लू–तापघात के रोगीयों हेतु वार्ड मे दो से चार बैड एवं जिले के अन्य समस्त आर्युवेद चिकित्सालय पर लू–तापघात के रोगीयों हेतु वार्ड में बैड की अलग से व्यवस्था की जावे। वार्ड को ठण्डा रखने के लिये कुलर, पखें की व्यवस्था होना आवश्यक है। ➢ चिकित्सा संस्थानो मे आने वाले रोगियो एवं परिजनो हेतु पीने के ठण्डे पानी व छांया की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
6.	पशु पालन विभाग	➢ वैटेरिनरी अधिकारियों को चिकित्सा विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य करना। ➢ जिले के समस्त पशु चिकित्सालयों में चिकित्सा दलो का गठन करना। सभी चिकित्सा संस्थानो में पशुओं हेतु आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था करना। ➢ पशुपालकों की बैठक आयोजित कर स्कब टाईफस रोग के बारे में जानकारी देना एंव पशुओं व बाड़ों में साईपरमैथ्रिन का छिड़काव कराना। ➢ पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बिमारियों पर सतत निगरानी बनाये रखना। ➢ पीड़ित जानवरों एवं पक्षियों का संगरोधन। ➢ जानवरों का टीकाकरण कर पशुओं की बीमारियों पर नियंत्रण करना। ➢ मृत जानवरों और पक्षियों का सुरक्षित डिस्पोजल करना।
7.	लोक स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग	➢ पर्याप्त मात्रा में वाटर टैंकर, ब्लीचिंग पाउडर, नये हैंन्डपंप लगाना, वर्तमान हैंडपम्प की मरम्मत करना, क्लोरिनेशन आदि की व्यवस्था करना। ➢ हाइजीन और सेनिटेशन के बारे में जागरूकता फैलाना। ➢ सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, जल की गुणवत्ता की निगरानी और उन्नत सेनिटेशन। ➢ सभी ग्राम पंचायतों को घरों में बांटने के लिए जल को शुद्ध करने वाली गोलियां(क्लोरिन), ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरिन की सप्लाई करना। ➢ स्वास्थ्य एवं सेनिटेशन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आईईसी द्वारा जारी नोटिस, पोस्टर, पेन्टिंग्रा, मीडिया आदि का प्रयोग। ➢ नियमित एवं अन्य स्त्रोतों से जल की उचित आपूर्ति। ➢ अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता। ➢ जहाँ बिजली की सप्लाई बन्द हो गई है वहाँ जनरेटर सेट की व्यवस्था करना तथा पानी के टैंकर का इंतजाम करना। ➢ जिले के जिन स्थानों पर लोग पानी के बिल जमा कराने आते है उन स्थानों पर आने वाले आमजन हेतु पीने के ठण्डे पानी व छांया की व्यवस्था करना।
8.	पुलिस	➢ कानून एंव व्यवस्था बनाये रखना। ➢ भीड को नियंत्रित करना और बचाव एवं राहत कार्यो व उचित ट्राफिक व्यवस्था के लिए प्रवेश एवं निकास स्थान नियत करना। ➢ अफवाहों को रोकने के लिए जरूरी उपाय करना।

9.	एनसीसी और स्काउटस	➢ स्वयंसेवी उपलब्ध कराना। ➢ मौसमी बिमारियों व आपदा से बचाव व राहत कार्यो में सहयोग प्रदान करना।
10.	बिजली बोर्ड	➢ बिजली की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना। ➢ जिले के जिन स्थानों पर लोग बिजली के बिल जमा कराने आते है उन स्थानों पर आने वाले आमजन हेतु पीने के ठण्डे पानी व छांया की व्यवस्था करना।
11.	नागरिक आपूर्ति	➢ बर्फ की आपूर्ति और जैनरेटर्स की व्यवस्था करना। जिले में दूषित खाद्य पदार्थ/मिलावटी खाद्य पदार्थ की जाचं कर नष्ट करवाना एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करना। ➢ जिले में राशन की दुकानों आने वाले लाभार्थियों हेतु पीने के ठण्डे पानी व छांया की व्यवस्था करना।
12	सेना	➢ चिकित्सको, चिकित्सा संस्थानो, सरकारी वाहनो एवं अन्य बचाव की सामग्री मुहैया करवाना ।
13	रेल्वे	➢ जिले के सभी रेल्वे स्टेशनों पर यात्रा करने वाले यात्रियों एवं आमजन हेतु पीने के ठण्डे पानी व छांया एवं प्राथमिक उपचार एवं आवश्यक जीवन रक्षक औषधियों की व्यवस्था सुनिश्चित करना। ➢ आपदा की स्थिति में पीड़ित लोगो को ले जाने के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था करना। ➢ प्रशासन की मांग पर पानी की ट्रेन की व्यवस्था करना।
14	सडक परिवहन	➢ यात्रियों के लू–तापघात से बचाव के लिए समुचित प्रबंध करना। ➢ जिले के सभी बस स्टेण्डों/यात्री प्रतिक्षालयों पर यात्रियों एवं आमजन हेतु पीने के ठण्डे पानी एवं छांया व बैठने की उचित व्यवस्था करना। ➢ प्रशासन के निर्देशानुसार पीड़ितो को अस्पताल पहुंचाने के लिए विशेष बसों की व्यवस्था करना।
15	दूरसंचार विभाग	➢ बेहतर संचार नेटवर्क जारी रखना। ➢ क्षतिग्रस्त लाइनों और नेटवर्क को पुनःचालू करना। ➢ आपदा की स्थिति में आमजन तक त्वरित संदेश पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
16	रेडियो दूरदर्शन एवं अन्य न्यूज जैनल	➢ लोगो को स्वास्थ्य, सेनिटेशन एवं हाइजीन के बारे मे जागरूकत करने के लिये आईईसी द्वारा जारी नोटस, पोस्टर, जिन्गल्स, रिडियो टीवी पर जागरूकता कार्यकमो का प्रसारण करना। ➢ सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासो के बारे मे मीडिया के द्वारा समय–समय पर बुलैटिन जारी करना।
17	एन.जी.ओ.	➢ राहत व बचाव के कार्यो में प्रशासन की मदद करना। ➢ पीड़ित लोगों को उपचार की सेवाओं की व्यवस्था करना। ➢ आमजन के सहयोग हेतु पीने के ठण्डे पानी के लिए विशेष स्थानों पर प्याऊ की व्यवस्था करना।

10. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड टोंक

जल संसाधन खण्ड टोंक के अधीन वर्तमान में प्रगतिरत निर्माण कार्यो पर कार्य करने वाले श्रमिक जो कि संवेदको की और से नियोजित किये गये है। उक्त श्रमिकों को गर्म हवा (लू) से बचाव हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है–

- गर्मी व लू तापाघात से बचाव हेतु खण्ड कार्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है तथा नोडल अधिकारी को प्रतिदिन अधीनस्थ सहायक अभियन्ता कार्यालयों व प्रगतिरत निर्माण कार्यो से सम्बन्धित संवेदको से समन्वय स्थापित कर तापाघात से बचाव हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये है।

- वर्तमान में खण्ड के अधीन प्रगति कार्य स्थलों पर श्रमिकों हेतु छाया, ठण्डे पीने के पानी की व्यवस्था एवं प्राथमिक चिकित्सा किट का प्रबन्ध करने हेतु सम्बन्धित संवेदकों को निर्देशित कर दिया गया है।

- विभिन्न निर्माण स्थलों पर श्रमिकों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के मध्य भीतर कार्य करने, तापमान से बचाव के लिए ठण्डी व तरल पेय का उपयोग करने, गीला कपडा उपयोग करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित संवेदकों को निर्देशित कर दिया गया है।

- निर्माण स्थलों पर तापाघात के कारण किसी भी श्रमिक की तबीयत आदि खराब होने के स्थिति में शीघ्र पास के स्वास्थ्य केन्द्र में ले जाने हेतु हमेशा वाहन/आवश्यक संसाधन कार्य स्थल पर मौजूद रखने हेतु सम्बन्धित संवेदकों को निर्देशित कर दिया गया है।

- तेज गर्मी की लहर से संबंधित बीमारियों के संबंध में श्रमिको को अवगत कराने व गर्मी से बचाव हेतु आवश्यक संसाधनों का उपयोग करने हेतु एवं उक्त संसाधन कार्यस्थल पर उपलब्ध रखने बाबत सम्बन्धित संवेदकों को निर्देशित कर दिया गया है।

- चरम गर्मी के घंटों से बचने के लिए श्रमिको के काम करने के समय पर बदलाव हेतु सम्बन्धित संवेदकों को आवश्यक सलाह आदि जारी की गई है।

- खण्ड कार्यालय व अधीनस्थ उपखण्ड कार्यालयों में कार्यरत कार्मिको एवं आगन्तुकों के लिए शुद्व पीने के पानी व तापाघात से बचाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर दिये गये है।

- नोडल अधिकारी एवं अधीनस्थ कार्यालयों व कार्यालयाध्यक्षों का विवरण निम्नानुसार है :-

जल संसाधन खण्ड टोंक के अधीनस्थ उपखण्ड कार्यालयों एवं कार्यरत अधिकारियों व तापाघात से बचाव हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी का विवरण

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद	खण्ड/ उपखण्ड का नाम	मोबाईल नं.	कार्यक्षेत्र	वि.वि.
1	श्री रामप्रकाश जांगिड	सहा. अभि. एवं तक. सहा.	जल संसाधन खण्ड टोंक	9783931768	खण्ड कार्यालय टोंक	नोडल अधिकारी
2	श्री भवानी शंकर वर्मा	सहायक अभियन्ता	उपखण्ड प्रथम टोंक	7014637646	टोक, निवाई, पीपलू	
3	श्री नरेश गुर्जर	सहायक अभियन्ता	उपखण्ड द्वितीय टोंक	7014870996	देवली, उनियारा (पार्ट)	
4	श्री महिपाल	सहायक अभियन्ता	उपखण्ड मालपुरा	9983077442	टोडारायसिह, मालपुरा	
5	श्री हरिकेश गुर्जर	सहायक अभियन्ता	उपखण्ड उनियारा	8104255373	उनियारा (पार्ट)	
6	श्री मनीष महावर	सहायक अभियन्ता	RWSLIP उपखण्ड मालपुरा	9694780921	जायका योजनान्तर्गत कार्य	

11. कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–तृतीय, बीसलपुर परियोजना, देवली।

Heat Wave Action Plan 2025

हिटवेव नोडल अधिकारी

श्री मनीष बंसल, अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–तृतीय, बीसलपुर परियोजना, देवली (टोंक–राज0)

इस कार्यालय के अन्तर्गत प्रगतिरत कार्यो के संवेदकों को हिटवेव से श्रमिकों के बचाव हेतु साईट पर निम्नलिखित व्यवस्थायें करने हेतु निर्देशित किया गया है।

1. कार्य की साईट पर समुचित छाया की व्यवस्था करना।
2. कार्य की साईट पर शुद्व एवं पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराना।
3. कार्य की साईट पर मेडिकल किट उपलब्ध करवाना जिसमें तापाघात से सम्बन्धित दवाईयॉ उपलब्ध हो।
4. दिन के अधिकतम तापमान वालें समय यथाः 12.00 बजे से 3.00 बजे के मध्य निर्माण कार्य बन्द रखना।
5. कार्य की साईट पर समुचित मात्रा में श्रमिकों के लिये आपाताकालीन परिस्थिति हेतु खाद्‌य व्यवस्था उपलब्ध कराना।
6. निकटस्थ अस्पताल/ एम्बूलेंस का सम्पर्क नम्बर साईट पर चस्पा करना।

12. आयुक्त, नगर परिषद टोंक –

दिनांक 09.04.2025 को 04:00 बजे माननीय केबिनेट मंत्री, आपदा प्रबन्धन की अध्यक्षता में आयोजित विडियो कोन्फ्रेंस (**Heat Wave**) के सम्बन्ध में रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है–

- ✓ गर्मी के दिनो में तापमान अधिक होने पर परिषद द्वारा अग्निशमन वाहनो से सड़को पर पानी का छिडकाव करवाया जाता है।
- ✓ परिषद द्वारा अग्निशमन केन्द्र में आश्रय स्थल संचालित किया जा रहा है। जिसमें गर्मी के मौसम को देखते हुये शुद्ध पीने की पानी तथा कूलरो आदि की व्यवस्था करवाई जावेगी।
- ✓ परिषद द्वारा शहर में चलित प्याउ चलाई जावेगी जो कि शहर मे घुमकर शुद्ध जल पीलाती है। साथ ही एक प्याउ घन्टाघर पर स्थाई रूप से तथा एक प्याउ अस्थाई रूप से परिषद द्वारा संचालित की जा रही है।परिषद द्वारा 4 स्थानों, घन्टाघर, बस स्टेण्ड, नोशे मियॉ का पुल, विवेकानन्द सर्किल पर छाया की व्यवस्था की गई है।
- ✓ Heat Wave के बचाव हेतु शहर में 04 स्थानों पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
- ✓ गर्मी के मौसम को देखते हुये मुख्यमंत्री गांधी शहरी नरेगा में श्रमिको हेतु कार्य स्थल पर छाया एवं पीने के पानी की व्यवस्था करवाई जा रही है, तथा कार्य समय प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक किया गया है। साथ ही ठेकेदारो को कार्यस्थल पर श्रमिको हेतु छाया व पीने की पानी की व्यवस्था करवाये जाने हेतु पाबन्द कर दिया गया है।

13. विद्युत विभाग, टोंक –

1. बिजली की निर्बाध आपूर्ति एवं वितरण की वर्तमान स्थिति –टोंक जिले में घरेलू , कृषि व औद्योगिक के उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई निम्न प्रकार दी जा रही है।

- शहरी क्षेत्रः– सिंगल फेज व थ्री फेज 24 घंटे दी जा रही है
- ग्रामीण क्षेत्रः– थ्री फेज सप्लाई दिन के दो ब्लॉक में 06 घंटे दी जा रही है।
- ग्रामीण क्षेत्र में सिंगल फेज सप्लाई 20 से 22 घंटे दी जा रही है।

- Block A : 09.00 AM to 3.00 PM
- Block B : 11.00 AM to 5.00 PM
- औद्योगिकः– 24 घंटे थ्री फेस विद्युत सप्लाई दी जा रही है।

: उपभोक्ता शिकायत निवारण :

टोंक जिले में विद्युत व्यवस्था के अन्तर्गत सभी पावर हाऊस का संचालन व्यवस्थित रूप से हो रहा है एवम नियमित विद्युत सप्लाई दी जा रही है।

एफ.आर.टी. :– इसके अतिरिक्त जिले में विद्युत उपभोक्ताओं के लिये विद्युत संबधी शिकायत निवारण हेतु निगम स्तर पर केन्द्रिय कॉल सेंटर 24X7 संचालित है जिसके टोंक शहर में 2, निवाई शहर में 2, मालपुरा में 2, टोडारायसिंह में 2, देवली में 2 उनियारा में 2, सहायक अभियन्ता अ.द्वितीय टोंक में 1, निवाई ग्रामीण में 1, पीपलू में 1, डिग्गी में 1 एवं दूनी में 1 लगाई गई है। वृत स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष (Control room) 24 घंटे कार्यरत है। जिसके दूरभाष न. 01432–243311 है तथा मोबाईल न. 9414041764 है। टोल फ्री नंबर 1800–180–6507, 0141–2203000 है व उपखण्ड स्तर पर उपभोक्ता सेवा केन्द्र (Help Desk Centre) स्थापित किये हुये हैं जिस पर उपभोक्ता अपनी विद्युत संबधी शिकायत/समस्या दर्ज करवा सकते हैं।

Status of Agriculture Connections

2	AG Category wise connection for financial year 2024-25	DN Deposit up to 31.03.2025	Connection released up to 31.03.2025	Pendingup to 01.04.2025
a	General	4728	1819	2909
b	SC Category	791	421	370
c	Drip	610	449	161
d	Farm house	18	11	7
	Total	6147	2700	3447

Status of Connections

3	Category wise connection for financial year 2024-25	DN Deposit up to 31.03.2025	Connection released up to 31.03.2025	Pending up to 01.04.2025
a	Domestic Conection	11499	11249	250
b	Non-domestic Conection	879	850	29
c	Industrial Conection	149	130	19
d	PHED Connection	57	53	4
e	Mix Load Conection	18	18	0
f	Other category	15	15	0
	Total	12617	12315	302

Status of burnt transformers

4	Status of burnt transformers for the year of 2024-25	Nos. of Burnt Transformers	Nos. of transformers replaced	Pending
a	Single phase transformers	2113	2113	0
b	Three phase transformers	2591	2591	0
	Total	4704	4704	0

Status of RDSS Scheme

क्र सं	कार्य का विवरण	योजना का नाम	घोषणा दिनांक	स्वीकृति राशि	प्रशानिक एवं द्वितीय स्वीकृति	निविदा आमंत्रित/ जारी करने की तिथि	कार्यादेश जारी करने की स्थिति मय दिनांक	कार्य प्रारम्भ	कार्य प्रगति विवरण मय प्रतिशत	कार्य पूर्ण तिथि	संभावित कार्य पूर्ण तिथि	कियान्वयन में किसी प्रकार के व्यवधान का विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	नए 33/11 केवी जीएसएस कोटडी मोड (उनियारा) पाएगा (उनियारा) पाडली (उनियारा) का कार्य प्रस्तावित है		21.10.2022	94.92 करोड़	103.7 करोड़	22.03.2023	22.03.2023	11.10.2023	जीएसएस कोटडी मोड 100% व पाएगा का 96% सिविल कार्य पूर्ण हो गया है वर्तमान में कुल 959 पोल लगाए गए हैं वह लाइन का कार्य प्रगति पर है कोटडी मोड जी एस एस के लाइन का कार्य 90% पूर्ण हो गया है वह पाएगा जी एस एस की लाइन का कार्य प्रगति पर है		30.04.2025	पाडली की जमीन का स्वामित्व सही तरीके से नहीं हुआ है से वहां पर कार्य नहीं हो रहा है	
2	6 नये 33 केवी फीडर पलाई (उनियारा) पाटोली (उनियारा) मोर (टोडारायसिंह) डारडा तुर्की (पीपलू) पचेवर (डिग्गी) व पहाड़ी (अ प्रथम निवाई) का कार्य प्रस्तावित है								33 वी केवी मोर लाइन का कार्य पूर्ण हो गया है 33 केवी डारडा तुर्की व 33 केवी पचेवर, पलाई एवं पहाड़ी का वर्तमान में कुल 848 पोल और टावर 36 लगाए गया है वह लाइन का कार्य चल रहा है (कार्य पूर्ण करने की तिथि 30.06.2025 है)		30.06.2025	पचेवर, व पटोली का कार्य फसल के कारण विवादित है व पहाड़ी लाइन में खेत वाले काम नहीं कर ने दे रहे है।	
3	62 नए फीडरो का कार्य (आवर लोडिंग के कारण) का कार्य प्रस्तावित है								वर्तमान में 24 फ़ीडरो का कार्य पूर्ण हो गया है 17 नये 11 केवी फ़ीडरो पर पोल लगाने का कार्य प्रगति पर है वर्तमान में कुल 2957 पोल एवं टावर लगाए गए हैं एवं 92.126 किलोमीटर लाइन खींची गई है (कार्य पूर्ण करने की तिथि 30.06.2025 है)		30.06.2025		
4	इस के तहत 11 केवी के 185 फीडरो पर एच विडीएस का कार्य प्रस्तावित है 843 सिंगल फ्रेज ट्रांसफार्मर व 314 थी फ्रेज लगाना प्रस्तावित है								वर्तमान में 137 फ़ीडरो पर 294 ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य पूर्ण हो गया है तथा पोल लगाने का कार्य प्रगति पर है वर्तमान में 2672 पोल लगाए गए हैं (कार्य पूर्ण करने की तिथि 30.06.2025 है)		30.06.2025		
5	इसके तहत विद्युत चोरी रोकने हेतु 134 फ़ीडरो पर चोरी वाले क्षेत्रों में इसूलेटर केबल डालने का कार्य प्रस्तावित है								वर्तमान में 54 फीडरों का कार्य पूर्ण हो गया है तथा 25 फिडरो पर पोल व केबल लगाने का कार्य प्रगति पर है वर्तमान में 1522 पोल लगाये गए हैं (कार्य पूर्ण करने की तिथि 30.06.2025 है)		30.06.2025		
6	इसके तहत 11 केवी के 24 फ़ीडरो का अलग किया जाना है जिसके कृषि व गैर कृषि उपभोक्ताओं को अलग-अलग फीडरों से सप्लाई दिया जाना प्रस्तावित है								वर्तमान में 1 फीडर का कार्य पूर्ण हो गया है 3 फीडरों पर 106 पोल लगा दिये गए हैं (कार्य पूर्ण करने की तिथि 30.06.2025 है)		30.06.2025	फसल के कारण विवादित है	
7	इस योजना के तहत यह 33/11 केवी जीएसएस पराना प्रस्तावित है								वर्तमान में उक्त जीएसएस पर सिविल कार्य 80% पूर्ण हो गया है ओके जीएसएस की बांउड्री पूर्ण हो गई है तथा लाइन व सब स्टेशन के कार्य हेतु 179 पोल लगा दिए गए हैं तथा अन्य विधुत सामग्री खरीद प्रक्रियाधीन है				

RAJASTHAN SAMPARK

PE5: Officer Wise Pendency(TimeLine)

District : Tonk,, From Date : 1-Jan-2025, To Date : 9April-2025 Report Date : 09-April-2025

Sr.No .ssss ssss	Designation Name	Registered	Disposed	Pending References (in days)						
				0-30	31-45	46-60	61-180	181-365	>365	Total
1	se (O&M) JVVNL , Tonk	426	144	281	1	0	0	0	0	281
	On lineTotal	426	144	281	1	0	0	0	0	281

रजिस्टर्ड शिकायत :– वर्ष 2024–25 में दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक इस कार्यालय को प्राप्त हुई कुल परिवादों (जिला कलक्टर कार्यालय, संभागीय मुख्यालय व प्रबंध निदेशक कार्यालय)की संख्या– 118 है। प्राप्त हुये परिवादों में से निस्तारित किये जा चुके प्रकरणों की संख्या– 103 है।

14. जिला परिषद टोंक

दिनांक 09.04.2025 को 04:00 बजे माननीय केबिनेट मंत्री, आपदा प्रबन्धन की अध्यक्षता में आयोजित विडियो कोन्फ्रेंस (Heat Wave) के सम्बन्ध में रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है–

- ✓ अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक के पत्रांक 6688 दिनांक 08.04.2025 द्वारा समस्त कार्यक्रम अधिकारी (ईजीएस) तथा समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति टोंक, पीपलू, निवाई, देवली, मालपुरा, टोडारायसिंह, उनियारा (मु. अलीगढ़) को हीटवेव के रोकथाम के संबंध में दिशा–निर्देशों की पालना करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है जो निम्नानुसार है–
- ✓ राज्य सरकार द्वारा संदर्भित पत्र एवं समय–समय पर महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यस्थल प्रबन्धन के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 में दिये गये प्रावधानुसार प्रत्येक कार्यस्थल पर उपलब्ध करवाने का दायित्व कार्यकारी एंजेसी का है। इस क्रम में योजनान्तर्गत कार्यस्थल पर निम्न सुविधाएं सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है–
  - कार्यस्थल स्थल पर स्वच्छ पेयजल।
  - कार्यस्थल पर विश्रामस्थल हेतु शेड।
  - कार्यस्थल पर प्राथमिक उपचार बॉक्स।
  - कार्यस्थल पर 6 वर्ष से कम उम्र के 5 से अधिक बच्चे, महिला मजदूरो के साथ आते हो तो एक महिला उन बच्चो की देखभाल हेतु लगाई जायेगी।
  - कार्य रजिस्टर।
  - नागरिक सूचना बोर्ड इत्यादि।

14. जिला रसद अधिकारी, टोंक

दिनांक 09.04.2025 को 04:00 बजे माननीय केबिनेट मंत्री, आपदा प्रबन्धन की अध्यक्षता में आयोजित विडियो कोन्फ्रेंस (Heat Wave) के सम्बन्ध में रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है–

- ✓ जिला रसद अधिकारी, टोंक के पत्रांक 532 दिनांक 09.04.2025 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार समस्त जिला टोंक को हीटवेव से बचाव हेतु पालना सुनिश्चित करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है कि संभावित हीटवेव एवं जनधन की हानि को देखते हुए जनधन के सुरक्षात्मक उपायो हेतु राशन की दुकानों पर आने वाले लाभार्थियों हेतु पीने के ठण्डे पानी एवं छाया की व्यवस्था करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

14. सहायक अभियन्ता, खनिज विभाग, टोंक

Mines Safety Rules as Per Rajasthan Mines and Minerals Rules, 2017

1. नियम 34 (1) के तहत प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से कन्सेन्ट टू ऑपरेट प्राप्त करेगें।

2. नियम 34 (2)(vi) के तहत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वायु प्रदुषण के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए नियमित पानी छिडकाव जैसे प्रभावी उपाय करेंगें।

3. नियम 34 (2)(x) के तहत सिलिकोसिस बिमारी के रोकथाम हेतु वेट ड्रिलिंग का प्रयोग करेंगें।

4. नियम 34 (2)(xi) के तहत खनन क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों के सुरक्षात्मक पहनावे एवं श्वश्न उपकरण प्रदान करेंगें।

5. नियम 34 (2)(xiii) के तहत खननपट्टा क्षेत्र में लगे श्रमिकों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करेंगें।

6. नियम 34 (2)(xv) के तहत खननपट्टा क्षेत्र में लगे श्रमिकों को बिमा कवरेज प्रदान करेंगें।

7. इसके अतिरिक्त श्रमिकों को प्राथमिक चिकित्सा किट एवं रहने हेतु लेबर सेल्टर उपलब्ध करावेंगें।

14. प्रबन्ध संचालक, राजस्थान पथ परिवहन निगम, टोंक

RSRTC

RSRTC TONK DEPOT

CENTERAL BUS STAND TONK

2025-26

भामाशाह श्री खुमान सिंह सोडा (अधिवक्ता) द्वारा अपनी पत्नी स्व 0 श्रीमती कुसुम सोडा की स्मृति में केन्द्रीय बस स्टेंड टोंक पर यात्रीओ और आमजन को गर्मी में शीतल जल उपलब्ध हो के धर्मार्थ कार्य हेतु राशि 51000 रुपए का वाटर कूलर लगाकर दिनांक 01 उद्घाटन किया .

पर हीटवेव के
शीतल पेयजल

RSRTC CBS TONK

केन्द्रीय बस स्टैंड टोंक पर हीटवेव के प्रकोप से बचाव हेतु शीतल पेयजल सुविधा नंबर 02.

RSRTC CBS TONK

केन्द्रीय बस स्टैंड टोंक पर हीटवेव के प्रकोप से बचाव हेतु शीतल पेयजल सुविधा नंबर 03.

RSRTC CBS TONK

केन्द्रीय बस स्टैंड टोंक पर हीटवेव के प्रकोप से बचाव हेतु शीतल पेयजल सुविधा नंबर 04.

RSRTC CBS TONK

केन्द्रीय बस स्टैंड टोंक पर हीटवेव के प्रकोप से बचाव हेतु यात्रीओ / आमजन के लिय प्रयाप्त छाया एवं पंखो की सुविधा उपलब्ध है .

RSRTC CBS TONK

केन्द्रीय बस स्टैंड टोंक पर हीटवेव के प्रकोप से बचाव हेतु यात्रीओ / आमजन के लिय प्रयाप्त छाया एवं पंखो की सुविधा उपलब्ध है .

प्रभारी अधिकारी (सहायता)
अति0 जिला कलक्टर,
टोंक

15. आंगनबाडी केन्द्र, टोंक –

- समस्त आंगनबाडी केन्द्रो पर हीट वेव से बचाव हेतु लाभार्थियों के लिये छाया एवं पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस संबंध में लिखित में महिला पर्यवेक्षकों के माध्यम से समस्त आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिकाओं को पाबन्द किया जाना सुनिश्चित किया है।

Thank you